उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन

नियमावली–1956

(दिनांक 29 मार्च, 2022 तक संशोधित)

संसदीय अनुभाग
विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
2022

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
1-प्रारम्भिक	
1-संक्षिप्त शीर्ष नाम	1
2-परिभाषायें	1-4
2-परिषद् की बैठक	
3-सदस्यों का आह्वान	4-5
4-परिषद् की बैठकें	5
5-सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगत होना	5-6
6-परिषद् की बैठक कब विधिवत गठित होगी	6
7-सदस्यों की नामावली की पंजिका	6
8-परिषद् की साधारण बैठक	7
3-राज्यपाल का सम्बोधन तथा परिषद् को सन्देश	
9-अभिभाषण का प्रतिवेदन	7
10-राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का निर्धारण	7
11-चर्चा की परिधि	7
12-संशोधन	7
13-सरकार का उत्तर देने का अधिकार	7
14-राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय औपचारिक कार्यवाही	7
14-(क) धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही	8
15-राज्यपाल द्वारा संदेश	8
4-राज्यपाल को सम्बोधन	
16-राज्यपाल को सम्बोधन	8
5-सभापति एवं उप सभापति का निर्वाचन तथा अधिष्ठाता मण्डल का नाम-निर्देशन	
17-सभापति का निर्वाचन	9-10
18-उप सभापति का निर्वाचन	10-11

विषय	पृष्ठ-संख्या
19-अधिष्ठाता मण्डल	11
20-उप सभापति या अधिष्ठाता की शक्तियां	11
6-कार्यक्रम	
21-असरकारी कार्य एवं उसकी प्राथमिकता	12
22-कार्य का क्रम	12
23-असरकारी संकल्पों व विधेयकों की सापेक्ष प्राथमिकता	12
24-असरकारी विधेयकों को प्राथमिकता	12-13
25-कार्यसूची	13
26-दिन के अन्त में बचा हुआ सरकारी कार्य	14
26-(क) दिन के अन्त में असरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य	14
27-कार्य परामर्शदात्री समिति को निर्देशन	14
28-समय निर्धारण	14
29-समय निर्धारण के प्रस्ताव में संशोधन	14
30-निर्धारित समय में परिवर्तन	15
7-सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम	
31-सदस्यों के स्थान	15
32-परिषद् में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम	15-16
33-प्रश्न सभापति के माध्यम से पूछे जायेंगे	16
34-व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	16
8-प्रक्रिया के सामान्य नियम	
35-विषय जो परिषद् के सामने लाये जा सकते हैं	16
36-सदस्यों द्वारा सूचना का दिया जाना	16
37-सदस्यों को सूचना का भेजा जाना	17
38-परिषद् की भाषा	17
39-व्यवस्था प्रश्न पर विनिश्चिय	17-18
40-किसी सदस्य को अपना भाषण बन्द करने के निर्देश देने की सभापति की शक्ति	18

विषय	पृष्ठ-संख्या
41-सदन में शान्ति व्यवस्था	18-19
42-बैठकों का स्थगन	19
43-बिना सूचना के प्रस्ताव पर प्रतिबन्ध	19
44-किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता सम्बन्धी उपबन्ध	19-20
45-सभापति द्वारा प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय	20
46-प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण व उसकी वापसी	20-21
47-चर्चा की परिधि	21
48-प्रस्ताव में संशोधन	21
49-वाद विवादों पर बन्धन	21-22
50-भाषणों की अवधि	22
51-भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार	22-23
52-प्रस्ताव पर मत प्राप्त करने से पहले सभापति का परिषद् को सम्बोधित करने का अधिकार	23
53-प्रश्न का उपस्थित किया जाना	23
54-कार्य-स्थगित करने का सभापति का अधिकार	23
55-अवशिष्ट शक्तियां	23
56-नियमों का निलम्बन	23
57-परिषद् का विनिश्चय	24-25
58-कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव	25
59-बिना सूचना के प्रस्ताव	26
60-प्रस्ताव की पुनरावृत्ति	26-27
61-संशोधनों के सम्बन्ध में उपबन्ध	27
62-संशोधन की सूचना	27
63-संशोधनों का प्रस्ताव	27
64-संशोधनों का उपस्थित किया जाना	28
65-प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिबन्ध	28
66-प्रस्तावों की स्वीकृति के आदेशों पर चर्चा का निषेध	28
67-प्रस्तावों की वापसी	28
68-विवादान्त	28-29

विषय	पृष्ठ-संख्या
69-परिषद् की बैठक के समय बाहरी व्यक्तियों का परिषद् मण्डप में प्रवेश	29
70-बाहरी व्यक्तियों को हटाये जाने का आदेश देने की शक्ति	29
71-परिषद् की कार्यवाहियों का संक्षिप्त अभिलेख	29
72-परिषद् की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन	29
73-परिषद् की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना	30
74-परिषद् की कार्यवाही में से निकाले गये अंशों का संकेत	30

9-परिषद् की समितियां

75-वार्षिक समितियां	30-31
76-अन्य समितियां नियुक्त करने का अधिकार	31
77-समितियों के लिये नियम	31
78-किसी समिति की नियुक्ति	31
79-समिति के सदस्यों का त्याग-पत्र	32
80-समिति का सभापति	32
81-गणपूर्ति	32
82-समिति की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों का समिति से हटाया जाना	33
83-समिति में मतदान	33
84-सभापति का निर्णायक मत	33
85-उप समितियां नियुक्त करने की शक्ति	33
86-समिति की बैठकें	33
87-समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब परिषद् की बैठक हो रही हो	33
88-समिति की बैठक असार्वजनिक स्थान में होगी	34
89-बैठकों का स्थान	34
90-समिति द्वारा विचार-विमर्श के समय सभी अपरिचित व्यक्ति वहां से हट जायेंगे	34
91-साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख तथा प्रपत्र मांगने की क्षमता	34

विषय	पृष्ठ-संख्या
92-समिति को साक्षियों को बुलाने व पत्र और अभिलेखों को मांगने की क्षमता	34
93-विशेष प्रतिवेदन	35
94-साक्ष्य प्रतिवेदन और कार्यवाहियां गोपनीय समझी जायेंगी	35
95-साक्ष्य लिये जाने की प्रक्रिया	35-36
96-समिति का प्रतिवेदन	36
97-प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	37
98-प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव देने का अधिकार	37
99-प्रक्रिया या दूसरी बातों के सम्बन्ध में सभापति को निर्देश देने का अधिकार	37
100-समितियों के सदस्यों की संख्या	37
101-विधान सभा की समितियों के साथ बैठने की शक्ति	37
102-समिति का प्रमुख सचिव	37

10-दोनों सदनों की संयुक्त समितियां

103-संयुक्त समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव	38
104-विधान सभा के सन्देश प्राप्त होने की प्रक्रिया	38

10-क-वाद विवाद के लिये स्थगन प्रस्ताव

105-कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभापति की सम्मति की आवश्यकता एवं प्रस्ताव की ग्राह्यता पर प्रतिबन्ध	38-39
106-कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	39
107-सभापति द्वारा कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विनिश्चय	39
108-कार्य-स्थगन प्रस्ताव की चर्चा अथवा वक्तव्य के लिये की गई प्रार्थना के रूप में ग्राह्य करने का सभापति का अधिकार	40
109-(1) कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की प्रक्रिया	40
(2) चर्चा की कालावधि	40

विषय पृष्ठ-संख्या

10-ख-अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा

110-(1) चर्चा उठाने की सूचना 40-41
(2) सभापति ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे 41
(3) औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा 41
(4) भाषणों के लिये समय सीमा 41

11-अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य

111-अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर वक्तव्य 41-42
112-वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारण 42
113-वक्तव्य के अवसर पर विवादास्पद विषय उठाये जाने का निषेध 42
114-मंत्री द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर वक्तव्य 42
115-ध्यानाकर्षण की सूचनायें 42-43

11-क-मंत्री द्वारा वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग दिया हो

116-मंत्री द्वारा पद-त्याग के स्पष्टीकरण सम्बन्धी वक्तव्य 43

12-प्रश्न

117-प्रश्न का समय 43
118-प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं 44
119-मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्न 44-45
120-उच्च प्राधिकारियों से विवादानुसार विषयों के बारे में प्रश्न 45
121-प्रश्न का रूप और विषय 45-46
122-मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्नों की संख्या पर सीमा 46
123-प्रश्नों की सूचना 47
124-सभापति प्रश्नों की ग्राह्यता पर निर्णय देंगे 47
125-प्रश्न को सभापति और सरकार के समक्ष उपस्थित किया जाना 47
126-प्रश्नों की सूची 47-48
127-पूरक प्रश्न 48
128-प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जायेगा 48

विषय	पृष्ठ-संख्या
129-प्रश्न की वापसी या उनका स्थगन	48
130-प्रश्न किस प्रकार पूछे जायेंगे	48-49
131-लम्बे विवरण पढ़े गये समझे जायेंगे	49
132-प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की रीति	49-50
133-परिषद् की कार्यवाहियों में प्रश्नों के उत्तर का समावेश किया जाना	50
134-सभापति के निर्णय पर चर्चा निषेध	50
135-प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न किसी सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा	50-52
136-प्रश्नों के उत्तरों का पूर्व प्रकाशन	52
13-संकल्प	
137-सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा करने पर प्रतिबन्ध	52
138-संकल्पों की सूचना	52-53
139-संकल्पों की प्रतिलिपियां प्रमुख सचिव द्वारा सभापति तथा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी	53
140-भाषणों की कालावधि	53
13-(क) अध्यादेश पर चर्चा	
141-अध्यादेश के निरनुमोदन का संकल्प	53
13-(ख) मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव	
142-मंत्रि-मण्डल में अविश्वास का प्रस्ताव	53-54
13-(ग) सभापति या उप सभापति का हटाया जाना	
143-सभापति या उप सभापति का हटाया जाना	54
13-(घ) संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन	
144-संविधान में संशोधनों का अनुसमर्थन	54
145-पारित संकल्प की प्रतिलिपि सरकार को भेजी जायेगी	54

विषय पृष्ठ-संख्या

14-विधान निर्माण

क-परिषद् में प्रारम्भ होने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

विधेयकों का पुरःस्थापन

146-विधेयकों को पुरःस्थापन के लिये पूर्व मंजूरी अथवा सिफारिश की सूचना 55

146-(क) विधेयकों को वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड 55

146-(ख) विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन 56

146-(ग) अध्यादेशों के सम्बन्ध में विवरण 56

147-वित्तीय विधेयकों से सम्बन्धित उपबन्ध 56

148-धन विधेयक 57

149-विधेयकों की प्रतिलिपि का सरकार को भेजा जाना 57

150-विधेयकों के प्रकाशन का राज्यपाल को अधिकार 57

151-विधेयकों का प्रकाशन 57

152-पुरःस्थापन की अनुज्ञा का प्रस्ताव 57-58

पुरःस्थापना के उपरान्त प्रस्ताव

153-पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव 58

154-सदस्य का विधेयक से सम्बन्धित प्रपत्रों को मांगने का अधिकार 59

155-व्यक्ति जो विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकेंगे 59

156-विधेयकों के सिद्धान्तों पर चर्चा 59-60

प्रवर समितियां

157-प्रवर समितियों के सदस्य 60

158-प्रवर समितियों की रचना 60

159-प्रवर समितियों के सदस्यों की नियुक्ति 61

160-अन्य सदस्यों की उपस्थिति 61

161-प्रवर समिति को संशोधनों की सूचना 61

विषय	पृष्ठ-संख्या
162-अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना	61
163-प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन	61-62
164-समितियों से सम्बन्धित नियम प्रवर समितियों पर लागू होंगे	62
165-प्रवर समिति द्वारा अन्य प्रतिवेदन	62
166-प्रतिवेदन का मुद्रण एवं प्रकाशन	62
167-प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रक्रिया	62-63
168-पुनः प्रकाशन का प्रस्ताव	63

संयुक्त प्रवर समितियां

169-संयुक्त प्रवर समिति	63
170-परिषद् द्वारा सदस्यों का निर्वाचन	63-64
171-समितियों से सम्बन्धित नियम संयुक्त प्रवर समिति पर लागू होंगे	64
172-प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्	64
173-संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विवाद	64

विधेयकों पर विचार, उनमें संशोधन और उनका पारण

174-संशोधन के प्रस्ताव	64
175-किसी कर को समाप्त अथवा कम करने वाली सिफारिश अथवा पूर्ण मंजूरी अनावश्यक	64
176-संशोधन की ग्राह्यता की शर्तें	64-65
177-संशोधनों की सूचना	65
178-संशोधनों का क्रम	65
179-संशोधनों की सूची	66
180-विधेयक खण्ड प्रतिखण्ड उपस्थित किया जाना	66
181-खण्ड का स्थगन	66
182-अनुसूची	66
183-किसी विधेयक का प्रथम खण्ड और प्रस्तावना	66
184-विधेयक में संशोधन की सूचना प्राप्त होने पर उसके पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना	67

विषय	पृष्ठ-संख्या
185-विधेयकों का पारित किया जाना	67
186-विधेयक के पारित किये जाने के प्रस्ताव पर की गयी चर्चा	67
187-पारित किये गये विधेयक सभापति को भेजा जाना	67
188-विधेयक का प्रमाणीकरण	68
189-संशोधित विधेयक की परिषद् में वापसी	68
190-संशोधन पर विचार किये जाने के लिये समय का निर्धारण	68
191-संशोधनों पर विचार किये जाने की प्रक्रिया	68-69
192-विधेयकों पर अनुमति तथा विधेयक का अधिनियम के रूप में प्रकाशन	69
193-राज्यपाल द्वारा वापस किये गये विधेयकों पर पुनः विचार	70
194-विधेयकों का वापस किया जाना	70
195-समाप्त विधेयक	70
196-संयुक्त प्रवर समिति के निर्देशन के प्रस्ताव	70-71
197-सभा द्वारा पारित विधेयक	71
198-सूचना	71
199-चर्चा	72
200-प्रवर समिति को निर्देशन	72
201-विचार एवं पारण	72
202-बिना संशोधनों के पारित विधेयक	72
203-संशोधनों के साथ पारित विधेयक	72-73
204-धन विधेयक	73

15-संयुक्त सम्मेलन

205-दोनों सदनों का संयुक्त सम्मेलन	73
206-सभा को संदेश का पहुंचाया जाना	73
207-सदस्यों का नाम-निर्देशन	73
208-सदस्यों की संख्या	73
209-प्रक्रिया	74

विषय पृष्ठ-संख्या

16-वित्तीय विवरणों पर चर्चा

210-आय-व्ययक 74
211-सामान्य चर्चा 75
212-किसी वित्तीय कार्य के लिये निर्धारित दिवसों पर लिये जाने वाले अन्य कार्य 75

17-परिषदों के लिये याचिकाएं

213-याचिकाओं का रूप और विषय 75-76
214-याचिकाओं का प्रमुख सचिव को दिया जाना 76
215-याचिकाओं के प्रस्तुत किये जाने के लिये तिथि का नियत किया जाना 76
216-याचिकाओं पर चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी 76
217-किसी याचिका का याचिका समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति को अधिकार 76
218-प्रतिवेदन पर चर्चा 77

18-नियमों का संशोधन

219-सूचना 77
220-परिषद् की अनुमति 77
221-संशोधनों के आलेख्य का नियम पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट किया जाना 77
222-नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया 78

19-विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव

223-विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना 79
224-विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें 79
225-विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की रीति 79-80
226-परिषद् की अनुमति का प्रश्न किया जाना 80
227-विशेषाधिकार समिति को निर्देशन 80-81
228-किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति का अधिकार 81

विषय पृष्ठ-संख्या

229-प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा करने के लिये समय का निर्धारण 81

20-विविध

230-परिषद् द्वारा निर्वाचन 82

अनुपस्थिति की अनुमति और रिक्तता

231-अनुपस्थिति की अनुमति 82-83

232-परिषद् के स्थान से त्याग-पत्र 83

233-गजट में रिक्त स्थानों का अधिसूचित किया जाना 83-84

234-गणपूर्ति 84

सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की सभापति को सूचना

235-दण्डाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि की सभापति को सूचना 84

236-सदस्य की रिहाई पर सभापति को सूचना 84

237-दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही 84

सदन के परिसर के भीतर विधि सम्बन्धी आदेशिका की तामीली तथा गिरफ्तारी से सम्बन्धित प्रक्रिया

238-सदन के परिसर के भीतर बन्दीकरण 85

239-विधि सम्बन्धी आदेशिका की तामीली 85

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम

यह नियम विधान परिषद् द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अन्तर्गत बनाये गये हैं तथा 1 जुलाई, 1956 से लागू हैं।

1-प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम

*नियम 12, 15, 31, 34, 35, 38 तथा 45 के अतिरिक्त शेष नियम 1 से 74 तक विज्ञप्ति सं0 409/वि0प0-28(सं)/91, दिनांक 16 फरवरी, 1991 द्वारा संशोधित हुए।

नियम 105 से 115 विज्ञप्ति संख्या 1961/वि0प0/28 (सं)/91, दिनांक 13 सितम्बर, 1991 द्वारा संशोधित हुए।

विज्ञप्ति संख्या-1045/वि0प0-18सं0/2008, दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा नियम 2 (1) (य), 4, 5, 72, 79, 81, 117, 119, 122, 126, 128, 130, 132, 133, 135, 223 एवं 227 संशोधित हुये तथा नियम-235, 236, 237, 238 व 239 बढ़ाये गये।

परिभाषायें

*1-यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956'' कहलायेगी।

2-(1) जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में :--

(क) ''अनुच्छेद'' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद से है।

(ख) ''असरकारी सदस्य'' का तात्पर्य उस सदस्य से है जो मंत्री न हो।

(ग) ''उप सभापति'' का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है।

(घ) ''गजट'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी गजट से है।

(ङ) ''नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 से है।

(च) ''नेता सदन'' का तात्पर्य मुख्य मंत्री अथवा मुख्य मंत्री द्वारा नाम-निर्दिष्ट मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है।

(छ) **"पत्री वर्ष"**	का तात्पर्य बारह महीने की उस कालावधि से है जो पहली जनवरी से आरम्भ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त हो।
(ज) **"परिषद्"**	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है।
(झ) **"परिषद् कक्ष" (लाबी)**	का तात्पर्य उस कक्ष से है जो परिषद्-मण्डप से संलग्न है और जो परिषद्-मण्डप के साथ ही समाप्त होता है।
(ञ) **"पूरे दिन"**	का तात्पर्य प्रथम तथा अन्तिम दिन को छोड़कर शेष दिनों से है।
(ट) **"प्रवर समिति"**	का तात्पर्य सदस्यों की ऐसी समिति से है जिसे कोई विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् परिषद् द्वारा विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय।
(ठ) **"प्रस्ताव"**	का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा की गयी ऐसी प्रस्थापना से है जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की जाय और उसमें संकल्प तथा प्रस्ताव के संशोधन भी सम्मिलित हैं।
(ड) **"बैठक"**	का तात्पर्य किसी भी दिन कार्य के आरम्भ होने से लेकर उस दिन के लिये सदन के उठने तक सदन के कार्य सम्पादनार्थ सदस्यों के समवेत् होने से है।
(ढ) **"भार-साधक सदस्य"**	का तात्पर्य, जहां तक उसका सम्बन्ध किसी संकल्प अथवा प्रस्ताव से है, उस सदस्य से है जिसने ऐसा प्रस्ताव अथवा संकल्प सदन में वस्तुतः प्रस्तुत किया हो।
(ण) **"मंत्री"**	का तात्पर्य संविधान के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है जिसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा कोई अन्य सदस्य भी सम्मिलित है, जिसको ऐसे मंत्री द्वारा परिषद् में अपनी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत कर दिया गया हो।
(त) **"मेज"**	का तात्पर्य सदन की मेज से है।
(थ) **"राज्यपाल"**	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।
(द) **"वित्त मंत्री"**	वित्त मंत्री के अन्तर्गत कोई भी ऐसा मंत्री है, जो सदन में तत्समय वित्त मंत्री के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करें।

(ध) **''वित्तीय वर्ष''**	का तात्पर्य बारह महीने की उस कालावधि से है जो पहली अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है।
(न) **''विधान मण्डल''**	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान मण्डल से है।
(प) **''विधेयक भारसाधक सदस्य''**	का तात्पर्य सरकारी विधेयक के सन्दर्भ में किसी मंत्री से है और असरकारी विधेयक के सन्दर्भ में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या ऐसे सदस्य से है जो पुरःस्थापनकर्ता द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो या यदि विधेयक सभा द्वारा भेजा गया हो, तो किसी मंत्री से है या उस सदस्य से है जिसने यह प्रस्ताव करने के मन्तव्य की सूचना दी हो कि विधेयक पर विचार किया जाय।
(फ) **''विभाजन''**	का तात्पर्य सदस्यों को परिषद्-कक्षों में भेजकर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है।
(ब) **''शासन''**	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।
(भ) **''संकल्प''**	का तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो सार्वजनिक हित के विषय पर परिषद् का विनिश्चय प्राप्त करने के लिये की जाय।
(म) **''संयुक्त प्रवर समिति''**	का तात्पर्य परिषद् तथा सभा के सदस्यों की ऐसी समिति से है जिसे किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया गया कोई विधेयक विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाय।
(य) **''संविधान''**	''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है।
(र) **''प्रमुख सचिव''**	''प्रमुख सचिव'' का तात्पर्य परिषद् के प्रमुख सचिव से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो तत्समय प्रमुख सचिव का कार्य करने हेतु अधिकृत हो।
(ल) **''सदन''**	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है।
(व) **''सदन के परिसर''**	का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित परिषद् मण्डप, परिषद्-कक्ष दीर्घाएं, सभापति-कक्ष, उप सभापति कक्ष, नेता विरोधी दल कक्ष, समिति-कक्ष, विधान परिषद् सचिवालय

के अध्यासन में कमरे, पार्टियों के कमरे, समितियों के सभापतियों के कमरे, परिषद् सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान भवन के सभी स्थानों तथा उनकी ओर जाने वाले मार्गों से है एवं उन स्थानों और मार्गों से भी है जिन्हें सभापति समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

(श) "सदनों" का तात्पर्य विधान मण्डल के सदनों से है।

(ष) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और अनुच्छेद 177 के प्रयोजनों के लिये इसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) भी सम्मिलित हैं।

(स) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है।

(ह) "सभापति" का तात्पर्य उस सदस्य से है जो परिषद् के सभापति पद पर नियुक्त हो और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई सदस्य भी आता है जो तत्समय सभापति का कार्य कर रहा हो।

(क्ष) "समिति" का तात्पर्य किसी विशिष्ट अथवा सामान्य प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा निर्वाचित या निर्मित अथवा सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किसी भी समिति से है।

(त्र) "सत्र" का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर परिषद् की प्रथम बैठक से उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान तक हो।

(ज्ञ) "सत्रावसान" का तात्पर्य अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश द्वारा सत्र के समापन से है।

(2) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, संविधान में प्रयुक्त ऐसे शब्दों व पदों का जिनकी परिभाषा इन नियमों में नहीं दी गयी है वही अर्थ होगा जो संविधान में है।

2-परिषद् की बैठक

सदस्यों का आह्वान

3-(1) राज्यपाल द्वारा परिषद् के लिये तिथि, समय व स्थान नियत किये जाने के पश्चात् प्रमुख सचिव उक्त तिथि, समय व स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को आह्वान-पत्र द्वारा भेजेंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत आह्वान-पत्र प्रमुख सचिव द्वारा साधारणतया नियत तिथि से चौदह दिन पूर्व भेजे जायेंगे :

किन्तु सत्र यदि अल्प सूचना पर या आपातिक रूप में बुलाया जाय तो प्रत्येक सदस्य को आह्वान-पत्र निर्गत करना आवश्यक न होगा और सत्रारम्भ की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण गजट तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा और सदस्यों को तार या टेलेक्स या रेडियोग्राम या किसी अन्य त्वरित संचार माध्यम से सूचित किया जायगा।

(3) अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष में विधान परिषद् के साधारणतया तीन अधिवेशन, अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और किन्हीं असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम 90 दिन की बैठकें अवश्य होंगी।

परिषद् की बैठकें

4-(1) सत्रारम्भ के पश्चात् की बैठकें उन तिथियों में होंगी जिनके लिये काम की स्थिति को ध्यान में रखकर सभापति आदेश दें।

(2) सभापति स्वयं अथवा विधान परिषद् की बैठक के तद्विषयक प्रस्ताव पर सदन की बैठकें स्थगित कर सकेंगे :

किन्तु यदि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो तो परिषद् के पुनः समवेत होने की तिथि की सूचना सदस्यों को साधारणतयः 10 दिन पूर्व दी जायेगी :

परन्तु सभापति परिषद् की बैठक उस तिथि के पूर्व अथवा उसके बाद की तिथि को बुला सकेंगे जिस तिथि के लिये वह स्थगित हुई हो ;

सत्रावसान होने पर लम्बित सूचनाओं का व्यपगत होना

5-(1) परिषद् के सत्रावसान पर-

(क) सभी लम्बित सूचनाएं, वक्तव्य और चर्चाएं व्यपगत हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिये पुनः से सूचनाएं दी जायेंगी :

परन्तु जो प्रश्न कार्य-सूची में प्रविष्ट हो चुके हों, किन्तु पिछले सत्र की समाप्ति पर स्थगित किये गये हों तथा उत्तर के लिये लम्बित हों, वे व्यपगत नहीं होंगे :

(ख) जो विधेयक सदन में लम्बित हों वह सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होंगे;

(ग) किसी समिति के समक्ष लम्बित कोई कार्य व्यपगत नहीं होगा;

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो उपस्थित किया जा चुका हो और सदन में लम्बित हो, व्यपगत नहीं होगा।

सत्रावसान के कारण व्यपगत प्रश्नों का निस्तारण

5-(2) 1-सत्रावसान की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि में नवीन सत्र पुनः आहूत हो जाने की स्थिति में विगत सत्र के प्रश्न यथावत् रहेंगे तथा उसी क्रम में नवीन सत्र में पुनः निर्धारित किये जायेंगे।

2-सत्रावसान की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि में नवीन सत्र आहूत न होने की स्थिति में आगामी सत्र के लिये नवीन प्रश्न सत्रावसान के पन्द्रह दिन उपरान्त ही परिषद् सचिवालय में लिये जा सकेंगे। सभी पूर्व स्वीकृत प्रश्नों के लिखित उत्तर सम्बन्धित विभागों द्वारा सत्रावसान की तिथि से एक माह के अन्दर प्रश्नकर्ता सदस्य को प्रेषित कर दिये जायेंगे तथा उनकी पांच प्रतिलिपियां विधान परिषद् सचिवालय को तत्काल उपलब्ध करायी जायेंगी। तदुपरान्त इन प्रश्नों को उत्तरित मान लिया जायेगा।

लम्बित प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों पर प्रश्नों का पुनः पूछा जाना

3-प्रश्नकर्ता सदस्य, सत्रावसान के फलस्वरूप संबंधित विभागों द्वारा सीधे प्राप्त लम्बित प्रश्नों के उत्तर से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में उसी विषय पर प्रश्न पुनः पूछ सकते हैं।

परिषद् की बैठक कब विधिवत गठित होगी

6-परिषद् की बैठक तभी विधिवत गठित होती है जबकि उसमें सभापति या ऐसा कोई सदस्य जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत पीठासन ग्रहण करने के लिये सक्षम है पीठासीन हो।

सदस्यों की नामावली की पंजिका

7-परिषद् के सदस्यों की नामावली की एक पंजिका होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के उपरान्त और परिषद् में सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करने से पूर्व प्रमुख सचिव की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करेगा।

परिषद् की साधारण बैठक

8-जब तक कि सभापति अन्यथा आदेश न दें, परिषद् की बैठक साधारणतया-(1) पूर्वाह्न 11 बजे आरम्भ होकर अपराह्न 5 बजे समाप्त होगी और बैठक के मध्य भोजनावकाश होगा।

(2) शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन नहीं होगी।

3-राज्यपाल का सम्बोधन तथा परिषद् को सन्देश

अभिभाषण का प्रतिवेदन

9-संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा किया गया अभिभाषण, सभापति द्वारा परिषद् को यथासंभव शीघ्र प्रतिवेदित किया जायेगा।

राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण

10-सभापति, सदन के नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करेंगे।

चर्चा की परिधि

11-(1) इस प्रकार नियत दिन या दिनों, या दिन के किसी भाग में परिषद् धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा और जिसका एक दूसरे सदस्य द्वारा समर्थन किया जायेगा, ऐसे अभिभाषण पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगी।

(2) ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों के विषय से सम्बद्ध नियम यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे :

परन्तु ऐसे प्रस्ताव या उस पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

संशोधन

12-*ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव में ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसे सभापति उचित समझें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे संशोधन मूल प्रस्ताव के अन्त में शब्द जोड़े जाने के रूप में होंगे।

सरकार का उत्तर देने का अधिकार

13-मुख्य मंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उन्होंने पहले चर्चा में भाग लिया हो या न लिया हो, चर्चा के अन्त में सरकार की ओर से सरकार की स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने का सामान्य अधिकार होगा। सभापति यह पूछ सकते हैं कि ऐसे भाषण में कितना समय लगेगा जिससे कि वह चर्चा के समाप्त होने का समय निर्धारित कर सकें।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय अन्य औपचारिक कार्यवाही

14-(1) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये कोई दिन नियत किये जाने पर भी-

(क) विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये परिषद् की अनुमति से एक प्रस्ताव या कई प्रस्ताव किये जा सकेंगे और ऐसे दिन विधेयक पुरःस्थापित किये जा सकेंगे।

(ख) ऐसे दिनांक को अभिभाषण की चर्चा आरम्भ होने या जारी रखने से पहले परिषद् में अन्य औपचारिक कार्य भी किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार का प्रस्ताव किये जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा किसी दूसरे दिन, जिसे सभापति नियत करेंगे के लिये स्थगित कर दी जाय, अभिभाषण पर चर्चा सरकारी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में स्थगित कर दी जायेगी। सभापति तुरन्त प्रश्न उपस्थित करेंगे और उस पर किसी संशोधन या चर्चा की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही

14 (क)-(1) अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर सभापति द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा।

(2) सभापति प्रस्ताव पर राज्यपाल के उत्तर को परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे।

राज्यपाल द्वारा संदेश

15-जब संविधान के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) के अन्तर्गत सभापति को परिषद् के लिये राज्यपाल का संदेश प्राप्त हो तो वह उस संदेश को परिषद् को पढ़कर सुनायेंगे और उस प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश देंगे जिसका संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचारार्थ अनुसरण किया जायेगा। ऐसे निदेश देने में सभापति को उस सीमा तक नियमों को निलम्बित या परिवर्तित करने का अधिकार होगा, जिस सीमा तक कि आवश्यक हो।

4-राज्यपाल का सम्बोधन

राज्यपाल को सम्बोधन

16-(1) परिषद् की ओर से राज्यपाल को सभापति के माध्यम से सम्बोधित किया जायेगा।

(2) ऐसा सम्बोधन केवल किसी ऐसे प्रस्ताव के फलस्वरूप किया जायेगा जिसे संकल्पों से सम्बन्धित नियमों के अनुसार प्रस्तुत एवं स्वीकृत किया गया हो।

5-सभापति एवं उप सभापति का निर्वाचन तथा अधिष्ठाता मण्डल का नाम-निर्देशन

सभापति का निर्वाचन

17-(1) सभापति का निर्वाचन उस तिथि को किया जायेगा जो कि राज्यपाल नियत करें और प्रमुख सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।

(2) इस प्रकार उपनियम (1) के अधीन नियत की गयी तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिये किसी दूसरे सदस्य का नाम-निर्देशन प्रमुख सचिव को एक नाम-निर्देशन-पत्र देकर कर सकेंगे जिस पर प्रस्तावक के रूप में उस सदस्य के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम-निर्देशित सदस्य के नाम का उल्लेख हो और उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम प्रस्तावित किया गया हो, कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य सभापति के पद पर कार्य करने के लिए तैयार है।

(3) (क) निर्वाचन की तिथि नियत होने पर पीठासीन व्यक्ति उन सदस्यों के नाम जिनका विधिवत नाम-निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्तावकों और समर्थकों के नाम के साथ परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम-निर्देशित हुए हों, पीठासीन व्यक्ति को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेंगे। यदि वापसी के उपरान्त, अगर कोई हो एक ही सदस्य का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो वह निर्वाचित घोषित किये जायेंगे और इसके लिये औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा।

(ख) यदि एकाधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो पीठासीन व्यक्ति उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हो, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक सीमित रखेंगे।

(4) उप नियम (3) के प्रयोजन के लिये किसी सदस्य को विधिवत नाम-निर्देशित नहीं समझा जायगा यदि उक्त उपनियम के अन्तर्गत नामों के पढ़े जाने के पूर्व उन्होंने अथवा उनके प्रस्तावक या समर्थकों ने परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली हो या प्रतिज्ञान नहीं किया हो।

5-प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जायेगा। जब दो से अधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिकतम प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को जिसने न्यूनतम प्राप्त किये हों, निर्वाचन से अपवर्जित कर दिया जायेगा और पुनः शलाका की जायगी। प्रत्येक शलाका के अन्त में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दिया जायेगा और ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों, की या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले।

6-जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें तब पर्ची डालकर यह निश्चित किया जायेगा कि उपनियम (5) के अन्तर्गत किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाय।

उप सभापति का निर्वाचन

18-(1) उप सभापति का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो कि सभापति नियत करें और प्रमुख सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेंगे।

(2) इस प्रकार उप नियम (1) के अधीन नियत की हुई तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिये किसी दूसरे सदस्य का नाम-निर्देशन प्रमुख सचिव को एक ऐसा नाम-निर्देशन पत्र देकर कर सकेंगे जिस पर प्रस्ताव के रूप में उस समय के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम-निर्देशन सदस्य के नाम का उल्लेख हो और उसके साथ उस सदस्य का कथन, जिसके नाम को प्रस्थापित किया गया है, संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य उप सभापति के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।

(3) उप नियम (2) के प्रयोजनों के लिये किसी सदस्य को विधिवत नाम-निर्देशित नहीं समझा जायेगा यदि उस उप नियम के अन्तर्गत नामों को पढ़े जाने के पूर्व उन्होंने अथवा उनके प्रस्तावक या समर्थक ने परिषद् सदस्य के रूप में शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो।

(4) निर्वाचन के लिए इस प्रकार नियत तिथि को सभापति उन सदस्यों के नाम जिनका विधिवत नाम-निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्तावकों तथा समर्थकों के नाम के साथ परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम-निर्देशित हुआ है, पीठासीन व्यक्ति को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप में सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेगा, यदि वापसी के उपरान्त अगर कोई हो, एक ही सदस्य का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा और इस विषय पर औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा। यदि एकाधिक सदस्यों का नाम-निर्देशन शेष रहता है तो सभापति उन सदस्यों को, जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेंगे।

(5) निर्वाचन की दशा में, नियम 17(5) और (6) में सभापति के निर्वाचन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

अधिष्ठाता मण्डल

19-(1) प्रत्येक पत्री वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ होने पर, जब आवश्यक हो, सभापति परिषद् के सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सदस्यों का एक अधिष्ठाता मण्डल नाम-निर्देशित करेंगे जिसमें से कोई भी सदस्य सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उप सभापति या उप सभापति के भी अनुपस्थित होने पर पीठासीन सदस्य के कहने पर परिषद् में पीठासीन हो सकेंगे।

(2) उप नियम (1) के अन्तर्गत नाम-निर्देशित अधिष्ठाता मण्डल तब तक कार्यरत रहेगा जब तक नया अधिष्ठाता मण्डल नाम-निर्देशित न हो जाय।

उप सभापति या अधिष्ठाता की शक्तियां

20-संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत उप सभापति या किसी अन्य सदस्य की, जो कि परिषद् की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो परिषद् की बैठक में पीठासीन होने पर वही शक्तियां होंगी जो कि पीठासीन होने पर सभापति की होती हैं और ऐसी अवस्था में इस नियमावली में सभापति से सम्बद्ध सब निर्देश उस पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

6-कार्यक्रम

असरकारी कार्य और उसकी प्राथमिकता

21-जब तक सभापति अन्यथा निर्देश न दें सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार असरकारी कार्य को जिसकी आवश्यक पूर्व सूचना दी जा चुकी हो, प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य दिनों में सरकारी कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति नेता सदन के परामर्श से असरकारी कार्य के लिए सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकते हैं।

कार्य का क्रम

22-असरकारी कार्य के लिए नियत दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में सभापति की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं लिया जायेगा। प्रमुख सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेंगे जैसा कि सभापति नेता सदन के परामर्श से विनिश्चत करें :

परन्तु सभापति नेता सदन के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकते हैं ।

असरकारी संकल्पों व विधेयकों को सापेक्ष प्राथमिकता

23-असरकारी सदस्यों द्वारा जिन विधेयकों और संकल्पों की सूचना दी गयी हो उनकी सापेक्ष प्राथमिकता शलाका द्वारा उस प्रकार निश्चित की जायेगी जिस प्रकार कि सभापति निदेश दें ।

असरकारी विधेयकों को प्राथमिकता कार्य सूची

24-(1) असरकारी विधेयक निम्न प्रकार ऐसे क्रम में रखे जायेंगे जिससे कि उन विधेयकों को प्राथमिकता मिल सके जो अग्रिमतम अवस्था प्राप्त कर चुके हों :--

(क) जो विधेयक पुरःस्थापित किये जाने वाले हों,

(ख) जो विधेयक राज्यपाल द्वारा संदेश के साथ वापस किये गये हों,

(ग) जो विधेयक विधान सभा द्वारा संशोधनों के साथ वापस किये गये हों,

(घ) जो विधेयक विधान सभा द्वारा पारित करके भेजे गये हों,

(ङ) जो विधेयक उस अवस्था में पहुंच चुके हों जिसके सम्बन्ध में अगला प्रस्ताव यह हो कि विधेयक को पारित किया जाय,

(च) जो विधेयक उस अवस्था में पहुंच चुके हों जिनके सम्बन्ध में अगला प्रस्ताव यह हो कि विधेयक पर विचार किया जाय,

(छ) जो विधेयक उस अवस्था पर पहुंच चुके हों जिन पर प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जाने वाला हो,

(ज) जो विधेयक उस अवस्था में पहुंच चुके हों जिन पर अगला प्रस्ताव यह हो कि विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय,

(झ) जो विधेयक जिसके विषय में पुरःस्थापित करने के उपरान्त कोई प्रस्ताव उपस्थित या स्वीकृत न किया गया हो।

(2) विभिन्न स्तरों पर असरकारी विधेयकों की सापेक्ष प्राथमिकता का निर्णय उप नियम (1) के अन्तर्गत उनके पुरःस्थापित करने के दिनांक से होगा और जो विधेयक एक ही दिन पुरःस्थापित किये गये हों, उनका पुरःस्थापित किये जाने के क्रम के अनुसार होगा, जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति परिषद् की अनुमति से उप नियम (1) के अधीन नियत की गयी विधेयकों की सापेक्ष प्राथमिकता को परिवर्तित कर सकते हैं।

कार्य-सूची

25-(1) प्रत्येक दिन कार्यक्रम की सूची प्रमुख सचिव द्वारा तैयार की जायेगी और सभी उपस्थित सदस्यों में परिचालित की जायेगी।

(2) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो सभापति की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य न लिया जायेगा जो उस दिन की कार्य सूची में सम्मिलित न हो।

(3) जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें कोई ऐसा कार्य जिसके लिये सूचना की आवश्यकता हो, आवश्यक सूचना की अवधि पूरी होने के पहले किसी दिन की कार्य सूची में नहीं रखा जायेगा।

(4) यदि सभापति अन्यथा निर्देश न दें, असरकारी कार्य के लिए नियत दिन की कार्य सूची में चार से अधिक संकल्प नहीं रखे जायेंगे।

दिन के अन्त में बचा हुआ सरकारी कार्य

26-किसी दिन के लिए नियत कार्य, जो उस दिन समाप्त न हो सके, सत्र के किसी ऐसे आगामी दिन के लिए रखा जायेगा जो उस प्रकार के कार्य के लिए उपलब्ध हो और जो सभापति नेता सदन के परामर्श से विनिश्चय करें।

दिन के अन्त में असरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य

26-(क) असरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उसके लिए नियत किये गये दिन के लिए रखा गया हो और उस दिन न लिया गया हो, किसी आगामी दिन के लिए तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि दूसरी तत्सम्बन्धी सूचना पर उसे उस दिन के सम्बन्ध में की गयी शलाका में प्राथमिकता प्राप्त न हो गयी हो :

परन्तु जो कार्य उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, वह असरकारी कार्य के लिए नियत आगामी दिन के लिये रखा जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य समस्त कार्यों पर अग्रेता मिलेगी।

कार्य परामर्शदात्री समिति को निर्देशन

27-सभापति सदन के नेता के परामर्श से कार्य की किसी मद को किसी स्तर पर कार्य परामर्शदात्री समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट कर सकते हैं और यह भी निर्देश दे सकते हैं कि समिति उस पर अपना प्रतिवेदन निश्चित दिनांक के पूर्व दे दें।

समय निर्धारण

28-कार्य परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के पश्चात् किसी प्रस्ताव की सूचना तत्काल नहीं दी जाती है तो प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा और उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसा वह सदन का आदेश हो।

समय निर्धारण के प्रस्ताव में संशोधन

29-(1) उक्त प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के पश्चात् कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि समिति द्वारा प्रतिवेदित कार्य की किसी मद के लिए आवंटित समय में परिवर्तन कर दिया जाय या समिति के पूर्ण या आंशिक प्रतिवेदन को समिति द्वारा पुनः विचार किये जाने के लिये निर्दिष्ट कर दिया जाय।

(2) किसी प्रतिवेदन पर ऐसे प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा केवल आधा घण्टे तक की जा सकेगी और कोई भी भाषण पांच मिनट से अधिक न होगा। चर्चा के लिये नियत समय के पश्चात् सभापति प्रस्तावों व उन पर प्रस्तावित संशोधन को परिषद् के मतदान के लिये रखेंगे।

निर्धारित समय में परिवर्तन

30-समिति द्वारा प्रतिवेदित समय विभाजन में परिषद् की अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और किसी मद के सम्बन्ध में निर्धारित समय की पूर्ति कर सभापति उस मद के निस्तारण के लिये आवश्यक प्रश्न उपस्थित करेंगे :

किन्तु नेता सदन की ओर से सदन से मौखिक रूप से प्रार्थना किये जाने पर और उनके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के सन्दर्भ में यह अभिसूचित किये जाने पर कि ऐसे परिवर्तन पर सामान्य सहमति है, सभापति सदन की सहमति से उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे।

7-सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम

सदस्यों के स्थान

31-सदस्य उस क्रम में अपना स्थान ग्रहण करेंगे जैसा कि सभापति निश्चित करें।

परिषद् में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम

32-(1) प्रत्येक सदस्य-

(क) अपने स्थान पर बैठने तथा वहां से उठने के समय सभापति के आसन के प्रति नमन करेगा ;

(ख) यदि वह कुछ कहना चाहे तो सभापति का ध्यान आकृष्ट करने के लिये खड़ा होगा और वह तभी बोलेगा जबकि सभापति उसे ऐसा करने के लिये कहें ;

(ग) खड़े होकर बोलेगा जब तक सभापति द्वारा उसे रोग या दुर्बलता के कारण बैठकर बोलने की अनुमति न दे दी गयी है ;

(घ) सामान्यतया अपने स्थान से या माइक्रोफोन के सामने से बोलेगा;

(ङ) सदा सभापति को सम्बोधित करेगा ;

(च) भाषण देने वाले सदस्य के भाषण में उच्छृंखल बात या कोताहल द्वारा बाधा न डालेगा ;

(छ) कोई ऐसी पुस्तक या समाचार-पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका परिषद् की कार्यवाही से सम्बन्ध न हो ;

(ज) भाषण देने वाले सदस्य तथा सभापति के बीच से होकर नहीं जायेगा ;

(झ) किसी दूसरे सदस्य से इस प्रकार से बातचीत नहीं करेगा जिससे कि परिषद् की कार्यवाही में बाधा पड़े ;

(ञ) इन नियमों के अधीन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त किसी और प्रकार से परिषद् की कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा ;

(ट) जिस समय सभापति परिषद् को सम्बोधित कर रहे हों, उस समय सदन के बाहर नहीं जायेगा।

(2) यदि सभापति किसी समय खड़े हों, तो वह सदस्य जो उस समय भाषण दे रहा हो, अपने स्थान पर बैठ जायेगा।

प्रश्न सभापति के माध्यम से पूछे जायेंगे

33-जब चर्चा के समय जानकारी के लिये या किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी सदस्य को परिषद् के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह उसे सभापति के माध्यम से पूछेगा।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

34-परिषद् के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव न होने पर भी कोई सदस्य, सभापति के अनुज्ञा से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है किन्तु इस दिशा में कोई विवादास्पद विषय नहीं लाया जायेगा और उस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

8-प्रक्रिया के सामान्य नियम

विषय जो परिषद् के सामने लाये जा सकते हैं

35-कोई विषय जिसके लिये प्रदेश की सरकार मुख्यतः उत्तरदायी नहीं है, बिना परिषद् की अनुज्ञा के, किसी भी रूप में परिषद् के सामने नहीं लाया जायेगा।

सदस्यों द्वारा सूचना का दिया जाना

36-(1) प्रत्येक सूचना जिसका इन नियमों के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक हो, प्रमुख सचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जायेगी और प्रमुख सचिव कार्यालय में कार्यकाल के भीतर छोड़ दी जायेगी।

(2) कार्यालय के बन्द हो जाने के पश्चात् छोड़ी गई सूचनाएं उस दिन प्राप्त हुई समझी जायेंगी जिस अगले दिन कार्यालय खुलेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सदस्य सभापति की अनुज्ञा से परिषद् में प्रश्नों के उपरान्त या परिषद् के स्थगन से पहले किसी प्रस्ताव की सूचना दे सकता है और ऐसी दशाओं में उप नियम (1) के अधीन सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

सदस्यों को सूचना का भेजा जाना

''37-प्रत्येक सूचना या अन्य कोई प्रपत्र जिसको कि नियमों के अन्तर्गत सदस्यों को दिया जाना या भेजा जाना आवश्यक हो, विधिपूर्वक दिया गया या भेजा गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को परिषद् के कार्यालय में दर्ज उसके पते पर भेज दी गयी हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब परिषद् की बैठकें हो रही हों तब किसी बैठक के आरम्भ होने से तीन दिन पहले ऐसी सूचना या प्रपत्र-प्रत्येक सदस्य को भेजा हुआ समझा जायेगा, यदि वह परिषद् भवन के अन्दर ऐसे स्थान पर रख दिया जाय जिसको सभापति ने इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया हो और सदस्यों को भी उसकी सूचना भेज दी गयी हो।''

परिषद् की भाषा

*38-संविधान के अनुच्छेद 210 के उपबन्ध के अधीन परिषद् का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा।

व्यवस्था प्रश्न पर विनिश्चय

''39-(1) सभापति के निर्णय के लिये व्यवस्था का प्रश्न किसी सदस्य द्वारा किसी समय उठाया जा सकता है, किन्तु ऐसा करते समय वह केवल प्रश्न तक ही अपने कथन को सीमित रखेगा।

(2) जब कि सभापति के सामने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय तो वे सदस्य जो उस समय भाषण दे रहे हों तुरन्त अपने स्थान पर बैठ जायेंगे।

(3) उठाये गये सभी व्यवस्था के प्रश्नों का निर्णय सभापति करेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा।

(4) किसी भी व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा करने की आज्ञा नहीं होगी, किन्तु सभापति उस पर सदस्यों की राय ले सकते हैं।

व्यवस्था प्रश्न पर विनिश्चय

39-क-(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो सभापति के संज्ञान में हो।

(2) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा :

परन्तु सभापति किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न

*जैसा विज्ञप्ति संख्या-3684-ए/वि0प0-240-1959, दिनांक 17 मई, 1961 द्वारा संशोधित हुआ।

उठाने की अनुमति न दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।

(3) उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और सभापति यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अन्तिम होगा।

(4) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु सभापति यदि ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे।

(5) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) कोई सदस्य-

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ीं, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेंगे।

किसी सदस्य को अपना भाषण बन्द करने के निर्देश देने की सभापति की शक्ति

40-सभापति परिषद् में वाद-विवाद के दौरान किसी सदस्य को बार-बार असंगत बात करने या स्वयं अपने अथवा अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तर्कों की व्यर्थ पुनरावृत्ति करने पर परिषद् का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के उपरान्त भाषण बन्द कर देने का निदेश दे सकते हैं।

सदन में शान्ति व्यवस्था

41-(1) सभापति को परिषद् की बैठक के दौरान सदन में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित कराने का पूरा अधिकार होगा।

(2) सभापति किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो परिषद्-मण्डप से तुरन्त बाहर चले जाने का आदेश दे सकते हैं और जिस सदस्य को इस प्रकार का आदेश दिया

जाय वह तत्काल परिषद्-मण्डप से बाहर चला जायेगा और उस दिन की बैठक के बाकी समय में अनुपस्थित रहेगा। यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरे बार इस प्रकार का आदेश दिया जाए तो सभापति अनुपस्थिति की अवधि दो दिन तक आदेशित कर सकते हैं और जिस सदस्य को ऐसा आदेश दूसरी बार दिया जाय वह अपने को तद्नुसार अनुपस्थित रखेगा। जिस सदस्य को इस प्रकार अनुपस्थित रहने का आदेश दिया गया हो उसे संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अधीन अनुपस्थित नहीं समझा जायेगा।

(3) परिषद् में घोर अव्यवस्था होने पर सभापति बैठक को किसी निश्चित समय तक के लिये स्थगित कर सकेंगे।

बैठकों का स्थगन

42-सभापति अपने विवेक से या इस सम्बन्ध में परिषद् का मत लेकर परिषद् की बैठक स्थगित कर सकते हैं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् की बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है परन्तु कोई सदस्य ऐसा प्रस्ताव उस समय प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे जबकि कोई दूसरा सदस्य भाषण दे रहा हो।

बिना सूचना के प्रस्ताव पर प्रतिबन्ध

43-जब तक कि इन नियमों में इसके विपरीत उपबन्ध न हो कोई प्रस्ताव बिना सूचना के प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव की ग्राह्यता सम्बन्धी उपबन्ध

44-किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होंगे, अर्थात्-

(1) उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध होगा जो संविधान के अधीन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हो ;

(2) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा ;

(3) उनमें तर्क, निष्कर्ष अनुमान व्यंग्यात्मक विवरण, दोषारोपण तथा अपमानजनक कथन नहीं होंगे ;

(4) उसमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्य से सम्बद्ध कृत्यों के अतिरिक्त उसके आचरण या चरित्र की ओर संकेत नहीं होगा ;

(5) उसका विषय किसी हाल ही की घटना तक सीमित होगा ;

(6) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ;

(7) उसमें मूल रूप से किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो ;

(8) उसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा की प्रत्याशा नहीं की जायेगी जो पहले ही से परिषद् की कार्य सूची में सम्मिलित हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रस्ताव में बहस की प्रत्याशा नहीं मानी जायेगी यदि उसमें उसी विषय पर अधिक मौलिक रूप से चर्चा की जानी हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्याशा के आधार पर किसी चर्चा को अवैध घोषित करने से पहले सभापति इस बात पर भी विचार करेंगे कि प्रत्याशित विषय परिषद् के सामने समुचित समय के अन्दर आने वाला है।

(9) उसमें किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो।

सभापति द्वारा प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय

45-(1) सभापति प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय देंगे और वे किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को अग्राह्य कर सकते हैं।

(2) सभापति किसी प्रस्ताव को नियमानुकूल बनाने के लिये उसमें संशोधन कर सकते हैं।

प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण व उसकी वापसी

46-(1) कोई सदस्य, जिसके नाम पर कार्य सूची में कोई प्रस्ताव अंकित हो अथवा कोई दूसरा सदस्य जिसकी उसने अपनी ओर से कार्य करने के लिये सभापति की संतुष्टि के अनुसार प्राधिकृत किया हो, नाम पुकारे जाने पर या तो-

(क) कार्यसूची में दिये हुए शब्दों में औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपना भाषण आरम्भ करेगा, या

(ख) प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेगा और उस दशा में उसका वक्तव्य केवल इतना कहने तक सीमित रहेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति स्वविवेक से उस सदस्य को संक्षेप में ऐसा वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकते हैं कि वह प्रस्ताव को क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

(2) ऐसी दशा में जब कोई सदस्य, जिसके नाम पर वह प्रस्ताव है, किसी कारणवश उसे स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो उसके अनुरोध पर सभापति की अनुज्ञा से कोई दूसरा सदस्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है।

(3) यदि प्रस्ताव उप नियम (1) और (2) के अधीन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो समझा जायेगा कि वह व्यपगत हो गया है।

(4) किसी ऐसे सदस्य को जो दूसरे सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने या वापस लेने के लिये प्राधिकृत किया गया है, प्रस्ताव पर चर्चा के लिये सदस्य के सब अधिकार प्राप्त होंगे।

चर्चा की परिधि

47-किसी प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव से सम्बन्धित विषय तक ही सीमित रहेगी।

प्रस्ताव में संशोधन

48-किसी प्रस्ताव पर इन नियमों के अधीन रहते हुए संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

वाद-विवादों पर बन्धन

49-(1) प्रत्येक भाषण परिषद् के समक्ष विषय से सुसंगत होना चाहिये।

(2) भाषण करते समय कोई सदस्य-

(क) किसी ऐसे विषय का हवाला नहीं देगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो;

(ख) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा;

(ग) संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल की कार्यवाहियों के संचालन के सम्बन्ध में अपेक्षात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा;

(घ) निम्नलिखित पर आक्षेप नहीं करेगा ;

(1) भारत सरकार से यथा सुभिन्न राष्ट्रपति के आचरण पर, या

(2) किसी राज्य सरकार से यथा सुभिन्न उसके राज्यपाल के आचरण पर, या

(3) किसी न्यायाधीश या किसी ऐसे न्यायालय जिसका क्षेत्राधिकार भारत के किसी भाग में हो, के न्यायिक कृत्यों के सम्बन्ध में।

(ङ) परिषद् के कार्य में बाधा डालने के लिये अपने भाषण के अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगा;

(च) परिषद् के निर्णय के विरुद्ध आक्षेप नहीं करेगा जब तक ऐसे निर्णय को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव उपस्थित न हो;

(छ) वाद-विवाद को प्रभावित करने के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम का प्रयोग नहीं करेगा;

(ज) राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा।

भाषणों की अवधि

50-सभापति

(क) स्वविवेक से परिषद् की कार्यसूची में दी हुई किसी मद के भाग को या सम्पूर्ण मद को निर्धारित समय के अन्दर निपटाने के लिये भाषणों के लिये समय सीमा नियत कर सकते हैं।

(ख) परिषद् के मतानुसार परिषद् की कार्यसूची में दी हुई किसी मद या उसके किसी भाग को निपटाने के लिये समय नियत कर सकते हैं।

भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार

51-(1) प्रस्तावक सदस्य के भाषण के उपरान्त अन्य सदस्य भी प्रस्ताव पर उस क्रम से भाषण दे सकते हैं जैसा कि सभापति निश्चित करें। यदि कोई सदस्य सभापति द्वारा पुकारे जाने पर भाषण न करे तो उसे बिना सभापति की अनुज्ञा के वाद-विवाद के दौरान आगे चलकर उस प्रस्ताव पर भाषण करने का अधिकार न होगा।

(2) अन्यथा उपबन्धित प्रतिबन्धों को छोड़कर कोई सदस्य अपने किसी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सिवाय जिसकी अनुज्ञा सभापति द्वारा दी जाय किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार भाषण नहीं करेगा और स्पष्टीकरण के समय कोई भी विवादास्पद विषय उपस्थित नहीं किया जायेगा।

(3) कोई भी सदस्य जिसने कोई मूल प्रस्ताव या विधेयक के किसी खण्ड में संशोधन प्रस्तुत किया हो उत्तर देने के लिये पुनः भाषण दे सकता है और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को जिसके विभाग से प्रस्ताव या विधेयक का संबंध हो या किसी और मंत्री को प्रस्ताव के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा चाहे उसने वाद-विवाद में पहले भाग लिया हो अथवा नहीं।

प्रस्ताव पर मत प्राप्त करने से पहले सभापति को परिषद् को सम्बोधित करने का अधिकार

52-सभापति किसी प्रस्ताव पर परिषद् का मत प्राप्त करने के पहले किसी प्रक्रम पर परिषद् को सम्बोधित कर सकेंगे।

प्रश्न का उपस्थित किया जाना

53-जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका हो और उस पर वाद-विवाद हो चुका हो तब सभापति परिषद् का मत जानने के लिये प्रश्न उपस्थित करेंगे। यदि किसी प्रस्ताव में दो या दो से अधिक प्रस्थापनायें हो तो सभापति उनको पृथक प्रश्नों के रूप में रख सकेंगे।

कार्य स्थगित करने का सभापति का अधिकार

54-सभापति किसी विशेष परिस्थिति में कार्य सूचीबद्ध किसी मद को उसी दिन किसी और समय के लिये बिना किसी चर्चा या मत के स्थगित कर सकते हैं।

अवशिष्ट शक्तियां

55-ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों को ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि सभापति समय-समय पर निर्देश करें।

नियमों का निलम्बन

56-कोई सदस्य सभापति की अनुज्ञा से प्रस्ताव कर सकता है कि परिषद् की कार्यसूची की किसी विशेष मद पर लागू होने वाले नियम को उस मद पर लागू होने से पूर्णतः या अंशतः निलम्बित किया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में सभापति द्वारा विनिश्चत प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

परिषद् का विनिश्चय

57-(1) परिषद् के विनिश्चय के लिये आवश्यक किसी विषय पर परिषद् का विनिश्चय सभापति द्वारा किसी सदस्य की ओर से किये गये प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करके किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करने से इन्कार कर सकते हैं जिसका प्रस्तावक विनिश्चय किये जाने के समय सदन में उपस्थित न हो, जब तक कि किसी दूसरे सदस्य द्वारा ऐसी दशा में प्रश्न उपस्थित करने की प्रार्थना न की जाय।

(2) मत सामान्यतः कण्ठ ध्वनि द्वारा लिया जायेगा और सभापति सदस्यों में से जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे ''हां'' तथा जो प्रस्ताव के विरोध में हों उनसे ''नहीं'' कहने के लिये कहेंगे। किसी सदस्य के अनुरोध पर मत हाथ उठवाकर भी लिया जा सकता है। तदुपरान्त सभापति परिषद् का विनिश्चय घोषित करेंगे।

(3) किसी सदस्य द्वारा एतदर्थ अनुरोध किये जाने पर सभापति, विभाजन द्वारा भी मत अभिलिखित करवा सकते हैं :

किन्तु यदि सभापति की राय में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई हो तो वे क्रमशः ''हां'' और ''नहीं'' वाले सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिये कहेंगे और उनकी गिनती हो जाने के उपरान्त प्रमुख सचिव से प्राप्त आख्या के आधार पर परिषद् का विनिश्चय घोषित करेंगे। इस प्रक्रिया में मत देने वाले सदस्यों के नाम अभिलिखित नहीं किये जायेंगे।

(4) विभाजन द्वारा मत लिये जाने की मांग स्वीकार हो जाने की दशा में विभाजन हेतु दो मिनट तक घण्टी बजाई जायेगी। तदुपरान्त परिषद् मण्डप के सभी बाहरी द्वार बन्द कर दिये जायेंगे और तब किसी सदस्य को परिषद् मण्डप में प्रवेश की अनुमति उस समय तक नहीं होगी जब तक कि विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाय।

(5) विभाजन हेतु समस्त बाहरी द्वार बन्द कर दिये जाने के उपरान्त सभापति प्रश्न को पुनः उपस्थित करेंगे। तदुपरान्त वे सदस्यों से कहेंगे कि जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वे ''हां'' परिषद् कक्ष में और जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हों वे ''नहीं'' परिषद् कक्ष में जाकर विभाजन हेतु वहां उपलब्ध सूची में हस्ताक्षर करके अपना-अपना मत अभिलिखित करें।

(6) यदि कोई सदस्य भूल से गलत परिषद् कक्ष में प्रवेश कर लें तो उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया जा सकता है बशर्ते वह इस तथ्य की जानकारी मत विभाजन का परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व सभापति को दे दें।

(7) यदि कोई सदस्य बीमारी अथवा दुर्बलता के कारण अपना मत अभिलिखित करने हेतु परिषद् कक्ष तक जाने में असमर्थ हो तो विभाजन का परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व एतदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सभापति ऐसे सदस्य को उसके स्थान पर ही मत अभिलिखित करने की अनुज्ञा दे सकेंगे और प्रमुख सचिव इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करायेंगे।

(8) मत अभिलिखित करने के इच्छुक सदस्यों द्वारा मत अभिलिखित किये जाने के पश्चात् प्रमुख सचिव दोनों सूचियों में अभिलिखित मतों की गिनती करायेंगे और जांचोपरान्त उसकी आख्या सभापति को प्रस्तुत करेंगे।

(9) विभाजन के परिणाम की घोषणा सभापति द्वारा तत्काल की जायेगी और उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव

58-(1) किसी विधेयक पर विचार का प्रस्ताव अथवा कार्य-स्थगन प्रस्ताव से भिन्न किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार किसी अन्य दिवस के लिये, जो इस हेतु उपलब्ध हो, अथवा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव किसी भी अवसर पर किया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव को उस समय सदन के विचाराधीन किसी कार्य पर प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) सभापति ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तावक को तथा उस प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को, यदि कोई हो, संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने का अवसर देकर प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं।

(3) यदि सभापति की राय में ऐसा कोई प्रस्ताव परिषद् के कार्य में बाधा डालने अथवा परिषद् की बैठक स्थगित कराये जाने के आशय से किया गया हो तो वह उसकी अनुमति देने से इंकार कर सकते हैं।

बिना सूचना के प्रस्ताव

59-सभापति की अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव बिना सूचना के प्रस्तुत किये जा सकेंगे :-

(1) बैठक के स्थगन के लिये प्रस्ताव।

(2) किसी अजनबी व्यक्ति को हटाने के लिये प्रस्ताव।

(3) स्थायी या अन्य समितियों के सदस्यों का चुनाव कराने के लिये प्रस्ताव।

(4) किसी विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प या उस पर संशोधन को वापस लेने के लिये प्रस्ताव।

(5) बधाई देने या शोक प्रकट करने के लिये प्रस्ताव।

(6) किसी कार्य को स्थगित करने के लिये प्रस्ताव।

(7) वाद-विवाद की समाप्ति के लिये प्रस्ताव

(8) राज्यपाल को सम्बोधन के लिये प्रस्ताव।

(9) ऐसे वक्तव्यों के लिये प्रस्ताव जिनके सम्बन्ध में इस नियमावली में सूचना देने का उपबन्ध न हो।

(10) राज्यपाल के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव।

प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

60-(1) यदि परिषद् में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात कोई प्रस्ताव परिषद् के मत के लिये उपस्थित किया जा चुका हो, या चर्चा के पश्चात् परिषद् की अनुज्ञा से वापस लिया जा चुका हो तो उसी सत्र में उसी विषय पर कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

(क) किसी विधेयक पर विचार किये जाने पर प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव यद्यपि उसी सत्र में उसी प्रकार के प्रस्ताव में इस आशय का कोई संशोधन किया जा चुका हो कि उक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित कर दिया जाय।

(ख) राज्यपाल द्वारा परिषद् के पुनर्विचार के लिये वापस भेजे गये किसी विधेयक में ऐसे संशोधन के प्रस्ताव जो पुनर्विचार के लिये निर्दिष्ट किसी विषय से सुसंगत हो।

(ग) ऐसे प्रस्ताव जो किसी पूर्व स्वीकृत संशोधन के आनुषंगिक हों या, जिनका अभिप्राय केवल ऐसे संशोधन का आशय बदले बिना उसकी शब्दावली में परिवर्तन करना हो।

(2) यदि नियमों के अधीन कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया हो, तो उसी सत्र में कोई प्रस्ताव, जिसमें मूलतः वही प्रश्न उठाया गया हो, प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

संशोधनों के सम्बन्ध में उपबन्ध

61-(1) कोई संशोधन उस प्रस्ताव के विषय में सुसंगत होना चाहिये जिस पर वह प्रस्तुत किया जाय।

(2) कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जिसके स्वीकृत हो जाने पर उसका प्रभाव केवल नकारात्मक हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची को निकालने के लिये कोई संशोधन किया जा सकेगा।

(3) कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जो किसी विधेयक या प्रस्ताव के उसी अवस्था में उसी विषय पर किये गये पूर्ण विनिश्चय के प्रतिकूल हो।

(4) सभापति कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किये जाने से रोक सकते हैं जो उनकी राय में तुच्छ हो।

संशोधन की सूचना

62-(1) यदि किसी प्रस्तावित संशोधन की सूचना प्रमुख सचिव को प्रस्ताव पर विचार हेतु निर्धारित तिथि से पूरे एक दिन पहले न दी गई हो तो कोई सदस्य ऐसे संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान ली जायेगी जब तक कि सभापति संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे संशोधन के बारे में पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी जो केवल शाब्दिक हों या संशोधनों के आनुषंगिक हो या उनके सम्बन्ध में हो जो स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(2) यदि पर्याप्त समय हो तो प्रमुख सचिव संशोधन की प्रत्येक सूचना को छपवायेंगे और प्रत्येक सदस्य को उसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

संशोधनों का प्रस्ताव

63-जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें किसी प्रस्ताव पर संशोधन साधारणतया उसी समय प्रस्तुत किये जायेंगे जब कि उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुके हों।

संशोधनों का उपस्थित किया जाना

64-(1) जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये गये हों, तो उन पर परिषद् का मत जानने के पहले सभापति परिषद् के समक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों को पढ़कर सुनायेंगे।

(2) यह सभापति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वे पहले मूल प्रस्ताव को या किसी संशोधन को मत के लिये रखें।

प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिबन्ध

65-सभापति किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने से पहले किसी समय उस प्रस्ताव को या उसके किसी भाग को इस आधार पर प्रस्तुत किये जाने से रोक सकते हैं कि वह एक ऐसे विषय से सम्बन्धित है जिससे कि राज्य सरकार का कोई मूल सम्बन्ध नहीं है।

प्रस्तावों की अस्वीकृति के आदेश पर चर्चा का निषेध

66-सभापति की किसी ऐसी आज्ञा पर जो किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा न देने के बारे में हो, परिषद् में चर्चा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रस्तावों की वापसी

67-(1) कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के बाद बिना सदन की अनुमति के वापस नहीं लिया जा सकेगा।

(2) सभापति की अनुमति के बिना, किसी प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा पर, चर्चा नहीं की जायेगी।

(3) किसी प्रस्ताव को वापस लिये जाने की अनुज्ञा मिल जाने पर प्रस्ताव में प्रस्तुत किये गये सभी संशोधन वापस ले लिये गये समझे जायेंगे।

(4) यदि कोई सदस्य प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दिये जाने पर आपत्ति करे तो सभापति तुरन्त प्रस्ताव और उस पर प्रस्तावित संशोधन पर, यदि कोई हो, प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं।

विवादान्त

68-(1) किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किसी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय और जब तक कि सभापति का ऐसा विचार न हो कि प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव नियम का दुरुपयोग है या वह समुचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है तो सभापति, प्रश्न उपस्थित करेंगे कि ''अब प्रश्न उपस्थित किया जाय''।

(2) जब उप नियम (1) के अधीन कोई प्रस्ताव किया जाय और यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो प्रश्न उसके अनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को बिना संशोधन या वाद-विवाद के तत्काल उपस्थित किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति किसी सदस्य को उत्तर देने का कोई ऐसा अधिकार दे सकते हैं जो इन नियमों के अधीन उसे प्राप्त हो।

परिषद् की बैठक के समय बाहरी व्यक्तियों का परिषद् मण्डप में प्रवेश

69-परिषद् की बैठक के समय दर्शकों, समाचार-पत्र प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश सभापति द्वारा जारी निदेशों के अधीन होगा।

बाहरी व्यक्तियों को हटाये जाने का आदेश देने की शक्ति

70-सभापति या तो स्वविवेक से या किसी सदस्य के प्रस्ताव पर परिषद् की बैठक के दौरान किसी समय बाहरी व्यक्तियों को परिषद् मण्डप से हटाये जाने की आज्ञा दे सकते हैं।

परिषद् की कार्यवाहियों का संक्षिप्त अभिलेख

71-(1) प्रमुख सचिव परिषद् की कार्यवाही का कार्यवृत्त रखेंगे जिसमें परिषद् की प्रत्येक दिन की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण लिखा जायेगा।

(2) प्रत्येक बैठक के पश्चात् कार्यवृत्त सभापति की पुष्टि तथा उनके हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सभापति के हस्ताक्षर के पश्चात् वह परिषद् की कार्यवाहियों का अधिकृत अभिलेख बन जायेगा।

परिषद् की कार्यवाहयों का प्रतिवेदन

72-(1) प्रमुख सचिव, परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेंगे तथा उनको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से, जैसा कि सभापति समय-समय पर निदेश दें, यथा सम्भव शीघ्र प्रकाशित करायेंगे।

(2) ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति तीन माह के अन्दर प्रमुख सचिव द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यपाल को भेजी जायेगी।

(3) सदन की कार्यवाहियां प्रकाशन से पूर्व गोपनीय रखी जायेंगी।

परिषद् की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना

73-यदि सभापति के विचार से विवाद में ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्द परिषद् की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।

परिषद् की कार्यवाही में से निकाले गये अंशों का संकेत

74-परिषद् की कार्यवाही में से इस प्रकार निकाले गये अंश छापे नहीं जायेंगे अपितु उनके स्थान पर तारांक लगाया जायेगा और स्पष्टीकरण हेतु कार्यवाही में एक पाद टिप्पणी निम्न प्रकार समाविष्ट की जायेगी :-

''सभापति की आज्ञानुसार निकाला गया।''

9-परिषद् की समितियां

वार्षिक समितियां

75-(1) प्रत्येक पत्री वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में सभापति निम्नलिखित समितियां मनोनीत करेंगे :-

*(क) सभापति के सभापतित्व में एक नियम पुनरीक्षण समिति जो किसी सदस्य द्वारा उन नियमों में प्रस्तावित उन संशोधनों पर विचार करेगी जो नियम 221 के अधीन या सभापति के स्वविवेक से उसे निर्देशित किये गये हों।

(ख) सभापति के सभापतित्व में एक विशेषाधिकार समिति जो ऐसी विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायतों की जांच करेगी जो उसे निर्देशित की गई हो और अवहेलना के लिये किये जाने के लिये यदि अवहेलना की गई हो प्रतिकर या दण्ड की भी सिफारिश करेगी।

(ग) उप सभापति के सभापतित्व में एक कार्य परामर्शदात्री समिति (विजिनेस एडवाइजरी कमेटी) जो नेता सदन के परामर्श से सभापति द्वारा उनको निर्देशित विधेयकों, प्रस्तावों या दूसरे कार्य को या उनकी विभिन्न अवस्थाओं को निपटाने के लिये समय निर्धारित करने की सिफारिश करेगी।

(घ) उप सभापति के सभापतित्व में एक याचिका समिति (कमेटी आन पिटीशन्स) जो ऐसी याचिकाओं की जांच करेगी जो उसे निर्देशित की गई हो और इसी याचिकाओं में की गई शिकायतों के उपायों के लिये कार्य का सुझाव देगी।

---

*जैसा कि विज्ञप्ति संख्या 1438/वि0प0, दिनांक 8 मई, 1957 द्वारा संशोधित हुआ।

*(ङ) मंत्रियों द्वारा समय-समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये आश्वासन समिति होगी।

(2) सभापति स्वविवेक से या इस सम्बन्ध में परिषद् की इच्छा से परिषद् की किसी भी समिति को अन्य कृत्य भी सुपुर्द कर सकते हैं।

(3) ये समितियां उस समय तक पदारूढ़ रहेगी जब तक उनके स्थान पर नयी समितियां न बना दी जायं।

अन्य समितियां नियुक्त करने का अधिकार

76-सभापति स्वविवेक से या इस सम्बन्ध में परिषद् की इच्छा से परिषद् के समक्ष किसी दूसरे विषय की तदर्थ नियुक्त समिति को निर्देशित कर सकते हैं ऐसे दूसरे आवश्यक निर्देश दे सकते हैं जो आवश्यक समझे जायं।

समितियों के लिए नियम

77-इस अध्याय में आगे दिये गये नियम परिषद् की समस्त समितियों के गठन और कृत्यशीलता को आवश्यक परिष्कारों के साथ, यदि कोई हों, विनियमित करेंगे।

किसी समिति की नियुक्ति

78-(1) किसी समिति के सदस्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव पारित करके या सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट करके, जैसी भी दशा हो, नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई भी सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हो। प्रस्तावक यह निश्चित कर लेगा कि उसके द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाला सदस्य समिति में कार्य करने के लिये सहमत है।

(3) किसी समिति में आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति निर्वाचन या नाम-निर्देशन द्वारा जैसी भी दशा हो, की जायेगी। कोई सदस्य जो ऐसी रिक्तिताओं की पूर्ति के लिये निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है उस अवधि तक पद धारण करेगा जिस अवधि तक वह सदस्य जिस स्थान पर वह निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है, पद धारण करता।

---

* जैसा कि विज्ञप्ति संख्या 6653/वि0प0, दिनांक 30 दिसम्बर, 1959 द्वारा संशोधित हुआ तथा विज्ञप्ति संख्या 3684-ए/वि0प0 तथा 24059/वि0प0, दिनांक 17 मई, 1961 द्वारा संशोधित हुआ।

समिति के सदस्यों का त्याग-पत्र

79-कोई सदस्य किसी समिति में अपने स्थान को स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा, त्याग करेगा जिसकी सूचना फैक्स द्वारा भी भेज सकता है।

समिति का सभापति

80-जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हों-

(1) किसी समिति का सभापति परिषद् के सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप सभापति किसी समिति के सदस्य हों तो वे उस समिति के सभापति नियुक्त किये जायेंगे।

(2) यदि किसी समिति का सभापति किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो तो परिषद् के सभापति उसके स्थान पर समिति का दूसरा सभापति नियुक्त कर सकते हैं।

(3) यदि किसी समिति का सभापति उसकी किसी बैठक से अनुपस्थित हों तो समिति उस बैठक के लिये किसी दूसरे सदस्य को सभापति चुन लेगी।

गणपूर्ति

81-(1) किसी समिति की बैठक विधान भवन के अन्दर गठित करने के लिये गणपूर्ति उस समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई के निकटतम होगी।

(2) समिति की विधान भवन के बाहर होने वाली बैठकों की गणपूर्ति के लिये न्यूनतम चार सदस्यों का होना आवश्यक होगा।

(3) समिति की किसी बैठक के लिये निर्धारित किसी समय पर या ऐसी बैठक के दौरान में किसी समय यदि गणपूर्ति न हो तो समिति का सभापति या तो उस समय तक के लिये बैठक निलम्बित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति न हो अथवा किसी अगले दिन के लिये बैठक स्थगित कर देगा।

(4) जब उप नियम (3) के अन्तर्गत कोई समिति बैठक के लिये निर्धारित दो लगातार दिनांकों को स्थगित हो चुकी हो तो समिति का सभापति, इसका प्रतिवेदन परिषद् को करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब समिति परिषद् के सभापति द्वारा नियुक्त की गयी हो तो समिति का सभापति ऐसे स्थगन का प्रतिवेदन सभापति को करेगा।

समिति की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों का समिति से हटाया जाना

82-यदि कोई सदस्य किसी समिति की लगातार दो या दो से अधिक बैठकों से समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को समिति से हटाने के लिये परिषद् में प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी समिति के सदस्य सभापति द्वारा नाम-निर्देशित हों तो ऐसे सदस्य को सभापति द्वारा हटाया जा सकेगा।

समिति में मतदान

83-किसी समिति की किसी बैठक में समस्त प्रश्न का निर्धारण उस बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा।

सभापति का निर्णायक मत

84-यदि किसी विषय पर समान मतदान किया गया हो तो समिति के सभापति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उप समितियां नियुक्त करने की शक्ति

85-(1) कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों को जो उसे निर्देशित किये जायं, जांच करने के लिये एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायं।

(2) उप समिति के निर्देश-पत्र में अनुसंधान के लिये विषय या विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। उस समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

समिति की बैठकें

86-समिति की बैठकें ऐसे दिन और समय पर होंगी जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समिति का सभापति आसानी से उपलब्ध न हो तो प्रमुख सचिव बैठक का दिन और समय निर्धारित कर सकता है।

समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब परिषद् की बैठक हो रही हो

87-समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब परिषद् की बैठक हो रही हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् में विभाजन की मांग होने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही को ऐसे समय तक के लिये निलम्बित कर सकेगा जो उसकी राय में सदस्यों को विभाजन के मतदान करने का अवसर देने के लिये पर्याप्त हो।

समिति की बैठक असार्वजनिक स्थान में होगी

88-समिति की बैठक गुप्त स्थान में होगी।

बैठकों का स्थान

89-साधारणतया किसी समिति की बैठक विधान भवन के अन्दर होगी और यदि यह आवश्यक हो जाय कि बैठक का स्थान विधान भवन के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह विषय सभापति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

समिति द्वारा विचार-विमर्श के समय सभी अपरिचित व्यक्ति वहां से हट जायेंगे

90-जिस समय समिति में विचार-विमर्श हो रहा हो समिति के सदस्यों और विधान परिषद् सचिवालय के अधिकारियों को छोड़कर सभी व्यक्ति बाहर चले जायेंगे।

साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख या प्रपत्र मांगने की क्षमता

91-(1) किसी साक्षी को प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर किये हुये आज्ञा-पत्र द्वारा बुलाया जा सकता है। साक्षी ऐसे प्रपत्रों को प्रस्तुत करेगा, जिसकी समिति को आवश्यकता है।

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे।

(3) किसी समिति के सामने प्रस्तुत किया हुआ प्रपत्र बिना समिति की जानकारी और अनुमोदन के न तो वापस लिया जायेगा और न उसमें रूपान्तर किया जायेगा।

समिति को भी साक्षियों को बुलाने व पत्र और अभिलेखों को मांगने की क्षमता

92-किसी समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा प्रपत्र और अभिलेख के मांगने की शक्ति होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा प्रश्न उठे कि किसी व्यक्ति के साक्ष्य या किसी प्रपत्र को प्रस्तुत करना समिति के प्रयोजन के लिये आवश्यक है या नहीं तो ऐसा प्रश्न सभापति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि सरकार किसी प्रपत्र को उपस्थित करने से इस आधार पर इन्कार कर सकती है कि उसका उपस्थित किया जाना राज्य के हित या सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

विशेष प्रतिवेदन

93-समिति, यदि वह उचित समझे तो, किसी विषय पर जो कि उसके कार्य के प्रसंग में उसके समक्ष आये, एक विशेष प्रतिवेदन दे सकती है जिसे वह उचित समझे कि इसकी सूचना सभापति या परिषद् को देना आवश्यक है और इसमें इस बात का विचार नहीं किया जायेगा कि ऐसे विषय का समिति के विचारार्थ विषयों से सीधे संबंध नहीं है या उसके अन्तर्गत नहीं आता या उससे आनुषंगिक नहीं है।

साक्ष्य प्रतिवेदन और कार्यवाहियां गोपनीय समझी जायेंगी

94-(1) समिति आदेश दे सकती है कि कोई साक्ष्य सम्पूर्णतया या उसका कोई अंश या उसका संक्षिप्त विवरण मेज पर रखा जाय।

(2) मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश या प्रतिवेदन या समिति की कार्यवाही का, जो मेज पर नहीं रखी गयी है, निरीक्षण बिना सभापति की आज्ञा के कोई व्यक्ति नहीं करेगा।

(3) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य जब तक कि वह मेज पर न रख दिया जाय तब तक समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशित नहीं किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति स्वविवेक से आदेश दे सकते हैं कि ऐसा साक्ष्य औपचारिक रूप से मेज पर रखे जाने से पहले गोपनीय रूप से सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय।

साक्ष्य लिये जाने की प्रक्रिया

95-समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार की जायेगी :-

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिये बुलाने के पहले प्रक्रिया की रीति के तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को निश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जायेंगे।

(2) समिति के सभापति इस नियम के खण्ड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे, जिसे वह विषय या तत्संबंधी किसी विषय के लिये आवश्यक समझें।

(3) समिति के सभापति समिति के दूसरे सदस्यों को क्रमानुसार अन्य प्रश्न पूछने के लिये अनुमति दे सकते हैं।

(4) साक्षी को समिति के समक्ष कोई अन्य सुसंगत बातें रखने को कहा जा सकता है जो पहले न आ चुकी हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाय तो समिति की कार्यवाही का अक्षरशः अभिलेख रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के समस्त सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

समिति का प्रतिवेदन

96-(1) जबकि परिषद् ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियुक्त न किया हो तो प्रतिवेदन उस दिनांक से जबकि उक्त विषय समिति को निर्दिष्ट किया गया था, दो महीने के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् किसी समय कोई प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकती है कि समिति द्वारा स्वीकृति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय प्रस्ताव में उल्लिखित दिनांक तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(2) प्रतिवेदन या तो आंशिक या अंतिम हो सकते हैं।

(3) यदि किसी समिति का कोई सदस्य किसी विषय पर विमति टिप्पणी देना चाहे तो उसको बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रतिवेदन पर इस बात का उल्लेख करके हस्ताक्षर करने होंगे कि वह इस प्रतिवेदन पर अपनी विमति टिप्पणी देकर हस्ताक्षर कर रहा है और उसी समय वह अपनी विमति टिप्पणी दे देंगे जब तक कि समिति के सभापति इसके विपरीत अनुज्ञा न दें।

(4) जो सदस्य समिति की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा हो उससे न तो प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने को कहा जायेगा और न उसे विमति टिप्पणी देने का अधिकार होगा।

(5) यदि सभापति के विचार में विमति टिप्पणी में ऐसे शब्द, वाक्य या पदावली हैं, जो असंसदीय या किसी अन्य प्रकार से अनुपयुक्त हैं तो वे आज्ञा दे सकते हैं, ऐसे शब्द, वाक्य या पदावली विमति टिप्पणी से निकाल दिये जायें।

प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

97-(1) किसी समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति या समिति के किसी सदस्य द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करते समय समिति या सभापति उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य, यदि उस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो वह कथन का संक्षिप्त विवरण देने तक ही सीमित रखेगा और उस समय उस प्रतिवेदन का कोई वाद-विवाद नहीं होगा।

प्रक्रिया के संबंध में सुझाव देने का अधिकार

98-समिति को सभापति के विचारार्थ उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प के पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझें।

प्रक्रिया या दूसरी बातों के संबंध में सभापति को निर्देश देने का अधिकार

99-(1) सभापति समय-समय पर समिति के सभापति को ऐसे निर्देश दे सकता है जिन्हें वह उनकी प्रक्रिया और कार्य के संगठन के विनियम के लिये आवश्यक समझें।

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो समिति का सभापति यदि उचित समझे तो उस विषय को सभापति को निर्दिष्ट कर देगा और उस पर सभापति का निर्णय अंतिम होगा।

समितियों के सदस्यों की संख्या

100-परिषद् की किसी समिति में साधारणतया 11 सदस्य होंगे।

विधान सभा की समितियों के साथ बैठने की शक्ति

101-परिषद् की किसी समिति का विधान सभा की किसी ऐसी समिति के साथ संयुक्त रूप से बैठने और विचार-विमर्श करने की शक्ति होगी, जो समान प्रयोजन के लिये नियुक्त की गयी हो।

समिति का प्रमुख सचिव

102-प्रमुख सचिव या इस प्रयोजन के लिये उसके द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति परिषद् की समिति के प्रमुख सचिव का कार्य करेगा।

10-दोनों सदनों की संयुक्त समितियां

संयुक्त समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव

103-(1) कोई सदस्य पूरे एक दिन का नोटिस देकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि किसी विधेयक के अतिरिक्त परिषद् की कार्यसूची पर दिया हुआ कोई विषय दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाय और यदि वह प्रस्ताव पारित हो जाय तो विधान सभा को सन्देश भेज दिया जायेगा जिसमें उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत होने के लिये कहा जायेगा और उनकी सहमति प्राप्त होने पर संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिये कहा जायगा।

(2) यदि परिषद् को यह सन्देश प्राप्त हो कि विधान सभा प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो बिना सूचना के एक प्रस्ताव किया जा सकता है कि उक्त विषय को परिषद् की समिति को सुपुर्द किया जाय।

विधान सभा से सन्देश प्राप्त होने पर प्रक्रिया

104-(1) विधान सभा में कोई ऐसा सन्देश प्राप्त होने पर जिसमें किसी विषय को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद् की सहमति मांगी गई हो, किसी भी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि परिषद् सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमत है।

(2) यदि परिषद् प्रस्ताव से सहमत हो तो परिषद् इन नियमों के अनुसार संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये अपने सदस्यों का चुनाव करेगी। सभा को परिषद् की सहमति का सन्देश और निर्वाचित सदस्यों के नाम भेज दिये जायेंगे।

10-(क) वाद-विवाद के लिये स्थगन प्रस्ताव

कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभापति की सम्मति की आवश्यकता एवं प्रस्ताव की ग्राह्यता पर प्रतिबन्ध

*105-किसी लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के लिये परिषद् में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव करने का अधिकार, सभापति की सम्मति से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन होगा, अर्थात्-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा न होगी,

---

* नियम 105 से 115 जैसा कि विज्ञप्ति संख्या-1961/वि0प0/संसदीय-28(सं)/91, दिनांक 13 सितम्बर, 1991 द्वारा संशोधन हुआ।

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी,

(3) प्रस्ताव किसी तत्काल घटित विषय तक सीमित रहेगा,

(4) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है,

(5) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर चर्चा की प्रत्याशा नहीं की जाएगी जिसके परिषद् में समुचित समय के भीतर आने की सम्भावना हो,

(6) प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कि इन नियमों के अन्तर्गत कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सके,

(7) प्रस्ताव द्वारा कोई ऐसा विषय नहीं उठाया जाएगा जिस पर केवल किसी मौलिक प्रस्ताव द्वारा इन नियमों या संविधान के अन्तर्गत चर्चा हो सकती है,

(8) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

106-लोक महत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर बहस करने के लिये परिषद् में कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के मन्तव्य की सूचना परिषद् की बैठक आरम्भ होने से कम से कम डेढ़ घण्टा पहले प्रमुख सचिव को चार प्रतियों में दी जायेगी जो उसकी एक प्रति सदन के नेता को भेज देंगे।

107-(1) किसी बैठक हेतु उस दिन प्राप्त कार्य-स्थगन नियमानुसार प्रस्ताव की सूचनाओं में से सभापति अधिकतम 7 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम-105 की शर्तों को पूरा करती हों और सभापति के मत में महत्वपूर्ण हों। उक्त 7 सूचनाओं को ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय सदन में सुना जा सकता है। उस दिन प्राप्त अन्य सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी।

(2) यदि सभापति की यह राय हो कि प्रस्ताव नियमानुसार ग्राह्य नहीं है, तो वह प्रस्ताव को परिषद् में पढ़कर सुना सकते हैं और प्रस्ताव को नियमानुकूल न होने के फलस्वरूप अग्राह्य घोषित करने से पूर्व सूचना देने वाले सदस्य, अन्य सदस्यों और मंत्री को प्रस्ताव की ग्राह्यता के पक्ष और विपक्ष में संक्षेप में सुन सकते हैं :

किन्तु इस प्रक्रम पर सदन में कोई विवाद उपस्थित नहीं किया जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव को चर्चा अथवा वक्तव्य के लिये की गयी प्रार्थना के रूप में ग्राह्य करने का सभापति का अधिकार

108-सभापति कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मन्तव्य की सूचना को नियम-110 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु अथवा नियम-111 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य देने के लिये की गयी प्रार्थना के रूप में ग्राह्य कर सकते हैं और उस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश जारी कर सकते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की प्रक्रिया

109-(1) यदि सभापति की राय है कि वह प्रस्ताव जिस पर चर्चा प्रस्तावित है नियमानुकूल है तो वह प्रस्ताव को परिषद् के समक्ष पढ़कर सुनायेंगे और परिषद् से यह पूछेंगे कि उस सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति है या नहीं। यदि आपत्ति उठाई जाये तो सभापति उन सदस्यों से जो प्रस्ताव का समर्थन करते हों, प्रार्थना करेंगे कि वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं और यदि इस प्रकार कम से कम 10 सदस्य खड़े हो जायं तो सभापति यह सूचित करेंगे कि अनुमति प्रदान की जाती है और प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये समय नियत कर देंगे। प्रस्ताव पर साधारणतया 4 बजे अपराह्न चर्चा की जायेगी किन्तु सभापति सदन के नेता की सम्मति से यदि ऐसा निर्देश दें तो उसी दिन किसी और समय की जा सकेगी। यदि 10 से कम सदस्य खड़े हों तो सभापति सदस्य को सूचित कर देंगे कि परिषद् उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं देती।

चर्चा की कालावधि

(2) अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर चर्चा करने के प्रस्ताव पर चर्चा यदि पहले ही समाप्त न हो जाय तो उसके प्रारम्भ होने के दो घण्टे पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया जायेगा।

(3) जब तक कि सभापति अन्यथा आदेश न दें ऐसे वाद-विवाद में कोई भाषण 15 मिनट से अधिक अवधि का न होगा।

10-(ख) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा

चर्चा उठाने की सूचना

110-(1) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतः तथा सुतथ्यतः उल्लेख कर प्रमुख सचिव को लिखित रूप से सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी और सूचना का समर्थन कम से कम एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से होगा।

सभापति ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे

(2) यदि सभापति को इस बात का समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिये तो वे सूचना को ग्रहण कर सकेंगे और नेता सदन के परामर्श से उक्त विषय को चर्चार्थ लेने के लिए तिथि व समय निश्चित कर देंगे तथा चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो दो घण्टे से अधिक न हों :

परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिए इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो सभापति सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेंगे।

औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा

(3) सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री का अन्तिम कथन हो जाने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी।

भाषणों के लिये समय सीमा

(4) सभापति, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय सीमा निर्धारित कर सकेंगे।

11-अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य

अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर वक्तव्य

111-(1) कोई सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री से वक्तव्य देने की प्रार्थना के अपने मन्तव्य की सूचना बैठक प्रारम्भ होने के डेढ़ घण्टा पूर्व प्रमुख सचिव को दे सकता है। ऐसी सूचना चार प्रतियों में होगी। प्रमुख सचिव सूचना की दो प्रतियां सदन के नेता को सूचनार्थ भेज देंगे।

(2) किसी बैठक में एक से अधिक सूचनाएं नहीं ली जायेगी और जब एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हों तो सभापति उस सूचना को स्वीकार करेंगे जो उनकी राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो।

(3) सभापति उपनियम (2) के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना के सम्बन्ध में सम्बन्धित सदस्य को सदन में उक्त सूचना पढ़ने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारण

112-सभापति द्वारा नियम-111 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य स्वीकार किये जाने के उपरान्त सम्बद्ध मंत्री सूचना के विषय पर उसी दिन अपना वक्तव्य दे सकेंगे। यदि मंत्री उसी दिन वक्तव्य देने की स्थिति में न हों तो वह वक्तव्य के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने का अनुरोध सभापति से करेंगे और सभापति वक्तव्य के लिए तिथि नियत करेंगे। सम्बद्ध मंत्री इस प्रकार नियत तिथि को लिखित वक्तव्य सदन में देंगे।

वक्तव्य के अवसर पर विवादास्पद विषय उठाये जाने का निषेध

113-साधारणतया वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् किसी वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी किन्तु सभापति सदस्यों को वक्तव्य में कही गई बातों के स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकते हैं। ऐसे अवसर पर कोई विवाद उपस्थित नहीं किया जायगा।

मंत्री द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर वक्तव्य

114-कोई मंत्री सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सभापति की अनुज्ञा से सदन में वक्तव्य दे सकते हैं।

ध्यानाकर्षण की सूचनाएं

115-(1) कोई सदस्य लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की सूचना प्रमुख सचिव को सदन की बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम डेढ़ घण्टा पूर्व दे सकेंगे तथा उसमें दो सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे ऐसी सूचना चार प्रतियों में होगी। प्रमुख सचिव सूचना की दो प्रतियां तुरन्त नेता सदन को भेज देंगे।

(2) जब तक सभापति अन्यथा विनिश्चय न करें सदन की किसी बैठक के लिये ध्यानाकर्षण की प्राप्त सूचनाओं में से अधिकतम 6 सूचनाएं स्वीकार की जायेंगी, इसके अतिरिक्त सभापति की अनुमति से 6 सूचनाएं बिना पढ़े प्रस्तुत की जा सकेंगी और उस तिथि को प्राप्त अन्य सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी। सम्बन्धित मंत्री यदि चाहें तो ऐसी सूचना के विषय में अपना संक्षिप्त वक्तव्य सदन में तुरन्त दे सकते हैं।

(3) ऐसी सूचना पर सदन में कोई वाद-विवाद नहीं होगा किन्तु सम्बन्धित मंत्री उक्त सूचना के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की अन्तरिम सूचना सम्बन्धित सदस्य को एक माह के अन्दर देंगे।

(4) प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर नेता सदन द्वारा एक सूची सदन की मेज पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण हो, परन्तु ऐसी सूचनाएं जो सदन के संज्ञान में ऐसा विवरण रखे जाने के तीस दिन से कम अवधि पूर्व लाई गई हों, उनका विवरण आगामी सत्र में रखी जाने वाली सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

11-क मंत्री द्वारा वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग दिया हो

मंत्री द्वारा पद त्याग के स्पष्टीकरण सम्बन्धी वक्तव्य

116-(1) कोई सदस्य, जिसने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया हो, सभापति की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकते हैं।

(2) ऐसे वक्तव्य प्रश्नों के पश्चात् और दिन को कार्य-सूची आरम्भ होने से पहले दिया जायेगा।

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सदस्य के वक्तव्य के उपरान्त किसी मंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार होगा।

प्रश्न का समय

117-(1) जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें, प्रत्येक बैठक का पहला घण्टा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा।

(2) प्रश्नों का क्रम निम्नवत् होगा-

1-पीठ द्वारा पूर्व में स्थगित अल्पसूचित प्रश्न,

2-अल्पसूचित प्रश्न,

3-सभापति द्वारा अल्पसूचित से तारांकित रूप में परिवर्तित किये गये प्रश्न,

4-पीठ द्वारा पूर्व में स्थगित तारांकित प्रश्न,

5-शासन के अनुरोध पर सभापति द्वारा स्थगित तारांकित प्रश्न,

6-सामान्य तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न।

प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं

118-(1) सार्वजनिक हित के किसी विषय पर सूचना प्राप्त करने के लिए जो संविधान या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मुख्यतया राज्य की सरकार के प्रशासकीय या विधायिनी सक्षमता में हो, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है।

(2) किसी मंत्री के सम्बोधित प्रश्न का सम्बन्ध उस सार्वजनिक कार्य से होगा जिससे कि उनका सरकारी तौर से सम्बन्ध हो या सम्बन्ध किसी ऐसे प्रशासकीय विषय से होगा जिसके लिए वह उत्तरदायी हो।

(3) किसी गैर सरकारी सदस्य को सम्बोधित प्रश्न का सम्बन्ध किसी विधेयक, प्रस्ताव या परिषद् के कार्य से सम्बन्धित किसी दूसरे विषय से होगा जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार हो।

मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्न

119-(1) कोई भी सदस्य निम्न प्रकार के प्रश्नों की सूचना दे सकता है :

(1) तारांकित प्रश्न :-

सदस्य जिस प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहते हों, उस प्रश्न के आरम्भ में एक तारांक लगा देंगे और इस प्रकार के प्रश्न तारांकित प्रश्न समझे जायेंगे।

(2) अतारांकित प्रश्न :-

ऐसे सभी प्रश्न जिन्हें तारांक लगातार इंगित नहीं किया गया हो, लिखित उत्तर मांगने के लिये अतारांकित समझे जायेंगे ;

किन्तु सभापति स्वविवेक से किसी मौखिक उत्तर वाले तारांकित प्रश्न को लिखित उत्तर वाली अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख सकते हैं।

(3) अल्पसूचित प्रश्न :-

(क) ''सदस्य जिस प्रश्न का उत्तर अल्प सूचना पर चाहते हों, उस प्रश्न के अल्पसूचना पर पूछे जाने के संक्षेप में कारण देंगे।

अल्पसूचित प्रश्न सदन आहूत हो जाने के बाद दिये जा सकेंगे। अल्पसूचित प्रश्न पूछने की तात्कालिकता व लोक महत्व के संदर्भ में कारण का उल्लेख न किये जाने पर प्रश्न तारांकित प्रश्न के रूप में माना जायेगा। अल्पसूचित प्रश्न दो तारांक लगाकर इंगित किये जायेंगे।''

(ख) ''सभापति द्वारा स्वीकृत अल्पसूचित प्रश्न सम्बन्धित मंत्री को सूचित किये जाने पर अधिकतम पांच (5) दिनों की अवधि की अल्प सूचना पर उत्तर देने हेतु सदन के संबंधित विभाग के लिये आवंटित आगामी वार की कार्य-सूची में रखा जायेगा :

परन्तु सभापति के विचार से यदि प्रश्न का अल्प सूचना पर उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है तो उसे तारांकित प्रश्न के रूप में यथास्थिति कार्य-सूची में रखने के निर्देश दे सकेंगे।''

उच्च प्राधिकारियों से विवादान्तर विषयों के बारे में प्रश्न

120-उस प्रश्न के अतिरिक्त जो वास्तविक तथ्य के बारे में हो और जिसका उत्तर केवल वास्तविक तथ्यों के वर्णन करने तक ही सीमित रहेगा, कोई प्रश्न ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कि राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच विवाद का विषय है या रहा है।

प्रश्न का रूप और विषय

121-कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जो निम्नलिखित प्रतिबन्धों को पूरा करता हो, अर्थात्-

(1) उसकी इस प्रकार रचना की जायेगी कि उसमें केवल सूचना मांगने के लिए प्रार्थना हो और उसमें वास्तव में इस मामले के बारे में किसी विशेष कार्यवाही के लिए सुझाव नहीं दिया जायेगा, जिसे प्रश्नकर्ता सदस्य ने अपने प्रश्न में उठाया हो ;

(2) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए नितान्त आवश्यक न हो ;

(3) यदि उसमें सदस्य द्वारा कोई कथन किया गया है, तो प्रश्नकर्ता सदस्य को उस कथन की यथार्थता के लिये स्वयं उत्तरदायी होना पड़ेगा ;

(4) उसमें तर्क, अनुमान, व्यंगात्मक वाक्य अभ्यारोप उपाधि या अपमानजनक विवरण नहीं होंगे ;

(5) उसमें राय प्रकट करने या संक्षिप्त वैधानिक प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा ;

(6) उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक रूप के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा ;

(7) वह अत्यधिक लम्बा नहीं होगा ;

(8) उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाहियों का विवरण नहीं मांगा जायेगा जो कि समिति के प्रतिवेदन द्वारा परिषद् के सामने प्रस्तुत नहीं हुई है ;

(9) उसमें व्यक्तिगत रूप का दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह उसमें अन्तर्निहित होगा ;

(10) उसमें ऐसी नीति के जो इतनी विस्तीर्ण हो कि वह प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके, प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे ;

(11) उसमें ऐसे प्रश्नों को वस्तुतः नहीं दुहराया जायेगा जिसका कि उत्तर दिया जा चुका है या जिसका उत्तर देने से इन्कार कर दिया गया है ;

(12) उसमें तुच्छ विषयों पर सूचना नहीं मांगी जायेगी ;

(13) उसमें साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर सूचना नहीं मांगी जायेगी ;

(14) उसमें ऐसी सूचना नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त लेखों (प्रपत्रों) अथवा सामान्य निर्देश ग्रन्थों में दी हों ;

(15) उसमें किसी ऐसे विषय के बारे में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो कि भारत के किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो ;

(16) उसका केवल ऐसे विषय से सम्बन्ध होगा जो कि राज्य की सरकार के क्षेत्राधिकार में हों ;

(17) उसमें व्यक्तिगत या पूर्णतया पक्ष विशेष की शिकायत नहीं होगी ;

(18) उसमें सारतः किसी ऐसे प्रश्न का पूर्वाभास नहीं होगा जो कि स्वीकार किया जा चुका है ;

(19) उसमें ऐसे विषयों में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो कि उन संस्थाओं से सम्बन्धित हो जो कि मुख्यतः राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

प्रश्नों की संख्या

122-प्रत्येक सदस्य यथासम्भव टंकित कराकर एक कार्य दिवस में अधिकाधिक पाँच प्रश्नों की सूचना परिषद् सचिवालय में दे सकेंगे जिनमें अल्पसूचित, तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक ही विभाग से सम्बन्धित तीन से अधिक प्रश्न एक दिन में नहीं लिये जा सकेंगे।

प्रश्नों की सूचना

123-(1) जब कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहे तो वह प्रमुख सचिव को लिखित रूप से सूचना देगा जो 15 दिवसों से कम न होगी और उस सूचना के साथ उस प्रश्न की प्रतिलिपि भेजेगा जिसको वह पूछना चाहता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति उस मंत्री की अनुज्ञा से जिसके विभाग से प्रश्न के विषय का सम्बन्ध है उसकी अल्प सूचना पर पूछने के लिये आदेश दे सकते हैं।

(2) जब कोई सदस्य किसी अल्पसूचित प्रश्नों का उत्तर चाहता हो तो वह संक्षेप में उस प्रश्न के अल्प सूचना पर पूछे जाने का कारण देगा। जब प्रश्न की सूचना में कोई कारण नहीं दिये हुए हों तो प्रश्न एक साधारण प्रश्न के रूप में माना जायेगा।

सभापति प्रश्नों की ग्राह्यता पर निर्णय देंगे

124-सभापति प्रश्न की ग्राह्यता पर निर्णय देंगे। वह सूचना अवधि में किसी प्रश्न को अस्वीकार कर सकते हैं जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग है या उसका ऐसे विषय से सम्बन्ध है जिसका मूलतः राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है। वह किसी ऐसे प्रश्न को अस्वीकार करेंगे जो उनकी राय में नियमों के प्रतिकूल है। वह स्वविवेक से किसी प्रश्न के रूप को नियमानुकूल बनाने के लिये उसे संशोधित कर सकते हैं। ऐसा अस्वीकृत प्रश्न, प्रश्न की सूची में नहीं रखा जायेगा।

प्रश्न का सभापति और सरकार के समक्ष उपस्थित किया जाना

125-प्रमुख सचिव ऐसे प्रत्येक प्रश्न की प्रतिलिपि, जिसकी उन्हें सूचना दी गयी हो सभापति को प्रस्तुत करेंगे जब सभापति प्रश्न को स्वीकार कर लेंगे तो उसकी एक प्रतिलिपि सरकार के सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव को भेजी जायेगी।

प्रश्नों की सूची

126-(1) एक दिन की प्रश्न सूची में पीठ द्वारा पूर्व में स्थगित व शासन के अनुरोध पर स्थगित प्रश्नों को छोड़कर सामान्यतयः अस्सी प्रश्न तक रखे जा सकेंगे :

किन्तु किसी एक दिन की प्रश्न सूची में सामान्यतयः तारांकित प्रश्नों की संख्या तीस एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या चालीस से अधिक नहीं होगी।

(2) एक दिन की प्रश्न सूची में किसी एक सदस्य के अधिकाधिक तीन सामान्य तारांकित प्रश्न रखे जा सकेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक सदस्य के एक विभाग से संबंधित दो प्रश्न से अधिक सामान्य तारांकित प्रश्न एक दिन की प्रश्न सूची में नहीं रखे जा सकेंगे;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी एक दिन की प्रश्न सूची में प्रथम पन्द्रह प्रश्नों में किसी एक सदस्य के एक से अधिक सामान्य तारांकित प्रश्न नहीं होंगे :

किन्तु किसी दिन की कार्य सूची में पन्द्रह से कम तारांकित प्रश्न होने पर उपरोक्त अग्रेतर प्रतिबन्ध शिथिल कर दिया जायेगा।

पूरक प्रश्न

127-कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य वस्तु को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ जिसके बारे में मौखिक उत्तर दिया गया है, पूरक प्रश्न पूछ सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति कोई ऐसा पूरक प्रश्न अस्वीकार कर सकेंगे यदि उनकी राय में उससे प्रश्न सम्बन्धी नियम भंग होते हैं।

प्रश्नों का स्थगन

128-किसी विभाग के मंत्री द्वारा एक ही प्रश्न को दूसरी बार स्थगित कराये जाने के अनुरोध पर प्रश्न, "प्रश्न एवं संदर्भ समिति" को स्वतः निर्दिष्ट हो जायेगा :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नीतिगत प्रश्नों का उत्तर सदन में ही दिया जायेगा।

प्रश्न की वापसी या उनका स्थगन

129-कोई सदस्य उस बैठक से पहले जिसके लिये उसका प्रश्न सूची में रखा गया है किसी समय सूचना देकर अपना प्रश्न वापस ले सकेगा या उसे किसी ऐसे अन्य दिन के लिये स्थगित कर सकेगा जिसे वह सूचना में बतायेगा और उसके बाद के दिन वह प्रश्न उन सब प्रश्नों के बाद सूची में रखा जायेगा जो कि इस प्रकार स्थगित नहीं किये गये।

प्रश्न किस प्रकार पूछे जायेंगे

130-(1) प्रश्न उस तरीके से पूछे जायेंगे जैसा कि सभापति अपने स्वविवेक से निर्धारित करें।

(2) सभापति किसी अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर लोकहित में दिये जाने की आज्ञा दे सकते हैं।

(3) प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा किसी विषय पर पूछे गये प्रश्न के सन्दर्भ में किया गया पत्र व्यवहार उस विषय पर प्रश्न पूछने में बाधक नहीं होगा।

लम्बे विवरण पढ़े गये समझे जायेंगे

131-सभापति निदेश दे सकते हैं कि मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्नों से सम्बन्धित लम्बे विवरण पढ़े हुए समझे जायेंगे और परिषद् की कार्यवाहियों में छापे जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की रीति

132-(1) जब तक सभापति अन्यथा आदेश न दें प्रश्नों के छपे हुये उत्तर सरकार द्वारा प्रमुख सचिव को प्रेषित किये जायेंगे जो उनको परिषद् की बैठक के लिये नियत समय से एक घंटा पूर्व सदस्यों की मेजों पर रखवा देंगे।

(2) यदि प्रश्न सूचना देने वाला सदस्य अनुपस्थित हो, तो कोई दूसरा सदस्य सभापति की अनुज्ञा से उसे पूछ सकेगा;

किन्तु सभापति निदेश दे सकेंगे कि जो प्रश्न परिषद् से नहीं पूछे गये हैं और जिनका उत्तर नहीं दिया गया है, वे भी कार्यवाही में प्रकाशित किये जायेंगे।

(3) सदन में प्रश्न का उत्तर दिये जाने की निर्धारित तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व लिखित उत्तर प्रशासकीय विभाग द्वारा परिषद् सचिवालय को अपेक्षित संख्या में प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

प्रशासकीय विभाग प्रश्नों के उत्तर परिषद् सचिवालय में अपराह्न तीन बजे तक दे सकेंगे।

प्रशासकीय विभाग किसी प्रश्न के सम्बन्ध में यदि यह अनुभव करे कि उक्त प्रश्न का निस्तारण सचिवालय के किसी अन्य विभाग में किया जाना चाहिये तो सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का प्रमुख सचिव स्वयं या समन्वय अधिकारी उस प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव या समन्वय अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से समन्वय स्थापित करेगा और यदि वह सहमत हो जाये तो प्रश्न को निस्तारण हेतु उन्हें भेज दिया जायेगा,

असहमति की दशा में प्रशासकीय विभाग के जिस प्रमुख सचिव ने प्रश्न को मूलतः प्राप्त किया था, के द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव को भेजा जायेगा और मुख्य सचिव द्वारा इस बात का निर्णय लिया जायेगा कि प्रश्न के सम्बन्ध में कार्यवाही किस विभाग द्वारा की जायेगी जिसकी सूचना परिषद् सचिवालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रश्न का उत्तर देने, अन्यथा कोई कठिनाई होने की सूचना परिषद् सचिवालय को तत्काल दी जायेगी।

प्रशासकीय विभाग द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया प्रश्न प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। एक सप्ताह की समय-सीमा समाप्ति के उपरान्त प्रशासकीय विभाग द्वारा की गयी किसी भी आपत्ति पर परिषद् सचिवालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

परिषद् की कार्यवाहियों में प्रश्न के उत्तर का समावेश

133-(1) वे सब प्रश्न जो पूछे गये हों और उनके उत्तर परिषद् की कार्यवाहियों में दर्ज किये जायेंगे इनके अतिरिक्त परिषद् की कार्य-सूची में दर्ज किये हुये प्रश्न जोकि समयाभाव के कारण पूछे न जा सके हों उत्तर सहित परिषद् की कार्यवाहियों में दर्ज किये जायेंगे जब तक कि सभापति यह निर्देष दें कि प्रश्न किसी आगामी दिनांक में लिये जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्रश्न जो कि स्वीकार किया गया है, इस प्रकार दर्ज नहीं किया जायेगा।

(2) सभापति सार्वजनिक हित में उन प्रश्नों के उत्तरों को देने की आज्ञा दे सकते हैं, जो शेष रह गये हों।

(3) जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें, सदन में प्रश्न प्रहर के समय किसी असामान्य स्थिति में उस दिन की कार्य-सूची में निर्धारित समस्त प्रश्न उत्तरित मानते हुये उस दिन की कार्यवाही में समाविष्ट किये जायेंगे।

सभापति के निर्णय पर चर्चा निषेध

134-किसी प्रश्न के ग्राह्यता या किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के लिये दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में सभापति के निर्णय पर चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न किसी सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा

135-(1) यथेष्ठ सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जो कि परिषद् में किसी प्रश्न का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये सभापति पांच बजे से साढ़े पांच बजे तक आधा घंटे का समय नियत करेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दिन के लिये निर्धारित दूसरा कार्य पांच बजे से पहले समाप्त हो जाय तो आधे घंटे की अवधि उस समय से आरम्भ होगी जिस समय कि ऐसा दूसरा कार्य समाप्त हो जाय।

(2) कोई सदस्य जो किसी विषय को उठाना चाहे, उस दिन से तीन दिन पूर्व प्रमुख सचिव को लिखित सूचना देगा, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो और ऐसा करने में वह उस बात या उन बातों को भी संक्षेप में बतायेगा, जिन्हें वह उठाना चाहता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि सभापति सम्बन्धित मंत्री की सहमति से उस प्रतिबन्ध को हटा सकेंगे जो कि सूचना की अवधि के बारे में है।

(3) यदि विनिश्चय सभापति करेंगे कि विषय इतने लोक महत्व का है या नहीं कि उस पर चर्चा की जाय।

(4) परिषद् के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो, वह एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा और सम्बन्धित मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी ऐसे सदस्य को जिसने कि पहले से सभापति को सूचित कर दिया हो, किसी तथ्य को और स्पष्ट करने के लिये प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

सदन में भ्रामक, तथ्यहीन अथवा त्रुटिपूर्ण उत्तर दिया जाना

(5) सदन में दिया गया किसी प्रश्न का उत्तर किसी सदस्य की राय में भ्रामक, तथ्यहीन अथवा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में, उसे सदन के संज्ञान में लाने से पूर्व, वह सदस्य पत्र द्वारा सभापति का ध्यान त्रुटि की ओर, प्रश्न का उत्तर सदन में दिये जाने के विलम्बतम् पन्द्रह दिन के अन्दर, दिलायेगा और उस विषय को सदन में उठाने की अनुमति मांगेगा तथा अपने कथन के पक्ष में सभापति के समक्ष वह साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकेगा। सभापति इस प्रकार उनके संज्ञान में लाये गये विषय पर स्वविवेक से वस्तुस्थिति की जानकारी एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करने के आशय से सम्बन्धित मंत्री को प्रश्नगत विषय से अवगत करा सकेंगे :

किन्तु सम्बन्धित मंत्री द्वारा विशेष परिस्थति में इस अवधि को एक सप्ताह के लिये और बढ़ाने का अनुरोध किया जा सकेगा।

(6) तद्नन्तर सभापति प्रश्नगत विषय को सदन में उठाने की अनुमति सम्बन्धित सदस्य को दे सकेंगे। सम्बन्धित मंत्री द्वारा सभापति की अनुमति से प्रश्नगत विषय पर एक वक्तव्य दिया जायेगा। इसके उपरान्त भी विवाद का समाधान न होने की स्थिति में सभापति अग्रेतर कार्यवाही का निदेश दे सकेंगे।

(7) मंत्री द्वारा सदन में दी गई सूचना त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो जाने की स्थिति में मंत्री दोषी अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करके उसी सत्र में अथवा विलम्बतम् आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक सदन को अवगत करायेंगे।

प्रश्नों के उत्तरों का पूर्व प्रकाशन

136-प्रश्नों के उत्तरों को जिन्हें मंत्री परिषद् में देना चाहते हैं उस समय तक प्रकाशन के लिए न दिया जाय जब तक कि वे परिषद् में न दिये जा चुके हों या मेज पर न रखे जा चुके हों।

13-संकल्प

सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा करने पर प्रतिबन्ध

137-जब तक कि संविधान या इन नियमों में कोई अन्यथा आदेश न हो किसी भी सामान्य लोकहित के विषय पर केवल उस संकल्प द्वारा चर्चा की जायेगी जो उन नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो जो प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्ध रखते हों, पर ऐसी चर्चा सभापति और उस मंत्री की स्वीकृति से हो सकेगी जिसके विभाग से संकल्प का सम्बन्ध हो।

संकल्पों की सूचना

138-कोई सदस्य जो कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहे वह अपने इस मन्तव्य की लिखित सूचना प्रमुख सचिव को कम से कम 7 दिन पूर्व देगा और सूचना के साथ उस संकल्प की प्रतिलिपि भेजेगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संबंधित विभाग के मंत्री की स्वीकृति से सभापति इस बात की अनुज्ञा दे सकेंगे कि संकल्प 7 दिन से कम समय की सूचना दिये जाने पर भी कार्य-सूची में दर्ज कर लिया जाय :

किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई भी मंत्री अथवा वह सदस्य जिसको उन्होंने अधिकृत कर दिया हो, किसी भी संकल्प को दो दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्तुत कर सकता है।

संकल्पों की प्रतिलिपियां प्रमुख सचिव द्वारा सभापति तथा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी

139-प्रमुख सचिव ऐसे प्रत्येक संकल्प की प्रतिलिपि जिसकी सूचना उन्हें दी गयी हो, सभापति के समक्ष उपस्थित करेंगे और जब सभापति स्वीकार कर चुकें तो स्वीकृत संकल्प की प्रतिलिपियां सरकार को भेजेंगे।

भाषणों की कालावधि

140-किसी संकल्प पर कोई भाषण बिना सभापति की अनुज्ञा के 15 मिनट से अधिक देर तक न दिया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संकल्प का प्रस्तावक सदस्य, संकल्प प्रस्तुत करते समय और संबंधित विभाग के मंत्री उस पर पहली बार भाषण देते समय 30 मिनट तक भाषण दे सकेंगे।

13-क अध्यादेश पर चर्चा

अध्यादेश के निरनुमोदन का संकल्प

*141-सभा से ऐसे संदेश की प्राप्ति पर जिसमें कि अध्यादेश का निरनुमोदन किया गया हो, कोई भी सदस्य दो दिन की सूचना देने के पश्चात् वह संकल्प प्रस्तुत कर सकता है कि परिषद् अध्यादेश का निरनुमोदन करती है और यदि संकल्प स्वीकृत हो जाय तो वह राज्यपाल तथा विधान सभा को प्रेषित कर दिया जायेगा।

13-ख मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

मंत्रि-मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव

142-मंत्रि-परिषद् की नीति का निरनुमोदन करने का प्रस्ताव सभापति की अनुमति से निम्नलिखित निबन्धों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है :-

(क) प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्न के उपरान्त तथा दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मांगी जायेगी, और

(ख) अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक आरम्भ होने से पूर्व प्रमुख सचिव को उस प्रस्ताव को, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी,

---

* जैसा कि विज्ञप्ति संख्या-3684-ए/वि0प0-240-1959, दिनांक 7 मई, 1961 द्वारा संशोधित हुआ।

(ग) यदि सभापति की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो प्रस्ताव को परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों अपने स्थान पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि कम से कम 20 सदस्य इस प्रकार हो जायें तो सभापति सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा मांगने के दिन से कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन के अन्दर किसी ऐसे दिन जिसे सभापति नियत करें, लिया जायेगा। यदि 20 से कम सदस्य खड़े हों तो सभापति सदस्य को सूचित करेंगे कि उसे परिषद् की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

13-ग-सभापति तथा उप सभापति का हटाया जाना

सभापति या उप सभापति का हटाया जाना

143-सभापति अथवा उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व किसी सदस्य से प्राप्त हो गयी हो, पीठासीन सदस्य द्वारा परिषद् में पढ़कर सुनाया जायेगा। तब वह उन सदस्यों से जो संकल्प प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, यह प्रार्थना करेगा कि वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें और तद्नुसार यदि कम से कम 20 सदस्य खड़े हों, तो पीठासीन सदस्य संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे देगा। यदि 20 से कम सदस्य खड़े हों तो पीठासीन सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य को सूचित करेगा कि उसे संकल्प प्रस्तुत करने के लिये परिषद् की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

13-घ-संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन

संविधान में संशोधनों का अनुसमर्थन

144-(1) किसी भी सदस्य को संविधान में संशोधन करने के लिये विधेयक का अनुसमर्थन करने के सम्बन्ध में संकल्प प्रस्तुत करने के लिये पूरे 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

(2) ऐसे संकल्प की सूचना के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक की ऐसी प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी।

(3) ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी परन्तु सदस्य अपने तर्कों के पक्ष में सामान्यतः विधेयक के खण्डों पर चर्चा कर सकते हैं।

पारित संकल्प की प्रतिलिपि सरकार को भेजी जायेगी

145-प्रत्येक संकल्प की एक प्रतिलिपि जो परिषद् द्वारा पारित किया गया हो राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

14-विधान निर्माण

क-परिषद् में आरम्भ होने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

विधेयकों का पुरःस्थापन

विधेयकों को पुरःस्थापन के लिये पूर्व मंजूरी अथवा सिफारिश की सूचना

146-(1) कोई सदस्य जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे, मन्तव्य की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रतिलिपि और उसके उद्देश्य और कारणों का पूर्ण विवरण भी देगा।

(2) यदि कोई सदस्य ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहे, जो संविधान के अन्तर्गत बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के, जैसी भी दशा हो, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तब तक वह उस सूचना के साथ जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित हैं ऐसी मंजूरी अथवा सिफारिश की एक प्रतिलिपि संलग्न करेगा और जब तक कि यह आवश्यकता पूरी न कर दी जाये, यह सूचना वैध नहीं होगी। ऐसी मंजूरी या सिफारिश अशासकीय विधेयकों के सम्बन्ध में सभापति द्वारा प्राप्त की जायेगी।

(3) इस नियम के अन्तर्गत किसी विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिये प्रस्ताव की सूचना की अवधि 15 दिन होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह उपनियम शासकीय विधेयकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

विधेयकों को वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड

*146-क-(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक और अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधियों में व्यय अन्तर्ग्रस्त हों, वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे।

---

* जैसा कि विज्ञप्ति सं0-6653-ए/वि0प0, दिनांक 30 दिसम्बर, 1959 द्वारा संशोधित हुआ।

विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

146-ख-जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक और ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप के हैं या अपवाद स्वरूप की।

अध्यादेशों के सम्बन्ध में विवरण

146-ग-(1) जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जावे तो उसके प्रख्यापन के बाद यथास्थिति अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण मेज पर रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिसके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के रूप भेद सहित स्थापित करना हो, सदन में पुरःस्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूप भेद करना आवश्यक हो गया था।

वित्तीय विधेयक से सम्बन्धित उपबन्ध

147-(1) यदि वित्तीय उपबन्धों से सम्बन्धित किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के प्रश्न के प्रस्ताव की सूचना मिले तो सभापति निर्देश दे सकते हैं कि यह कार्य सूची में सम्मिलित न किया जाय।

(2) जबकि कोई ऐसा विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा हो तो कोई भी सदस्य उस प्रक्रम तथा किसी अनुवर्ती प्रक्रम पर यह आपत्ति कर सकता है कि वह एक वित्तीय विधेयक है और उस पर परिषद् में आगे विचार न किया जाय।

(3) यदि सभापति की यह राय है कि वह वित्तीय विधेयक है तब वे तुरन्त विधेयक पर विचार समाप्त करके यह आदेश देंगे कि उसे परिषद् की कार्य-सूची से हटा दिया जाय।

(4) यदि सभापति की उठायी गयी आपत्ति की वैधता में कोई संदेह हो तब वह इस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे और यदि अध्यक्ष तथा सभापति आपस में सहमत न हों, तो सभापति इस विषय की सूचना परिषद् में देंगे और उसकी सम्मति लेंगे कि क्या परिषद् विधेयक पर आगे विचार करना चाहती है।

धन विधेयक

148-(1) जबकि परिषद् में कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा हो अथवा किसी अन्य प्रक्रम पर यदि यह आपत्ति उठाई जाय कि विधेयक एक धन विधेयक के रूप में है और उस पर परिषद् में आगे विचार न किया जाय तो सभापति यदि वे आपत्ति को वैध समझें, निदेश देंगे कि विधेयक से सम्बन्धित आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय।

(2) यदि सभापति को आपत्ति की वैधता में कोई सन्देह हो तो वे इस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

विधेयकों की प्रतिलिपि का सरकार को भेजा जाना

149-(1) जब कभी परिषद् का कोई अशासकीय सदस्य किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दे तो प्रमुख सचिव तुरन्त विधेयक और उसके उद्देश्य व कारण के विवरण की एक-एक प्रतिलिपि उस विभाग को जिससे उसके विषय का सम्बन्ध हो और विधायिका विभाग को भेजेंगे।

(2) उप नियम (1) के उपबन्ध जहां तक सम्भव हो ऐसे सभी संशोधनों पर लागू होंगे जिनकी सूचना किसी विधेयक के सम्बन्ध में परिषद् के किसी अशासकीय सदस्य द्वारा दी गई हो।

विधेयकों के प्रकाशन का राज्यपाल को अधिकार

150-राज्यपाल किसी विधेयक को गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे सकते हैं यद्यपि उस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया हो। ऐसी दशा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक तत्पश्चात् पुरःस्थापित किया जाय तो उसका पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

विधेयकों का प्रकाशन

151-विधेयकों के पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् यदि वह पहले ही प्रकाशित नहीं किया जा चुका है यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

पुरःस्थापन की अनुज्ञा का प्रस्ताव

152-यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो सभापति विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले सदस्य और विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक विवरण की अनुज्ञा देने के पश्चात् और बिना विवाद के प्रश्न उपस्थित कर सकेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि विधेयक ऐसे विधान का निर्माण आरम्भ करता है जो राज्य विधान मण्डल के विधायनी सक्षमता के बाहर है तो सभापति उस पर चर्चा किये जाने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

153-(1) किसी विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक भार-साधक सदस्य अपने विधेयक के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकेगा अर्थात्-

(क) उसे परिषद् द्वारा तत्काल ही अथवा भविष्य में किसी ऐसे दिन जिसे उसी समय बताया जायेगा विचारार्थ ले लिया जाय, अथवा

(ख) उसे ऐसी प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जिसमें परिषद् के वे सदस्य हों और जिसे ऐसे दिनांक से पूर्व प्रतिवेदन करने के लिये आदेश हों, जिन्हें वह प्रस्ताव में स्पष्ट करे, अथवा

(ग) उसे राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि तब तक कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं किया जा सकेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गई हो और कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव लिए जाने पर आपत्ति कर सकता है जब तक कि प्रस्ताव की सूचना दो दिन पूर्व न दे दी गई हो ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि सभापति प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें।

(2) कोई प्रस्ताव, जिसके द्वारा यह सिफारिश की गई हो कि विधेयक को विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय किसी ऐसे प्रक्रम पर किया जा सकेगा जिस पर कि कोई प्रस्ताव, विधेयक की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

सदस्य का विधेयक से सम्बन्धित प्रपत्रों को मांगने का अधिकार

154-किसी विधेयक के पुरःस्थापित के पश्चात् और उसके पारित होने के पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कोई सदस्य विधेयक से सम्बद्ध कोई पत्र अथवा विवरण पत्र मांग सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे विधेयक से सम्बन्धित परिषद् की कार्यवाही, मांगे गये पत्र अथवा विवरण-पत्र के प्राप्त होने तक, निलम्बित नहीं की जाएगी, जब तक कि सभापति इस सम्बन्ध में अन्यथा आदेश न दें या परिषद् अपना मत इस आशय का न दे।

व्यक्ति जो विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्ताव कर सकेंगे

155-विधेयक भार साधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाय अथवा उसे पारित किया जाय, अगर विधेयक भार साधक सदस्य को छोड़कर, कोई सदस्य, विधेयक भार-साधक सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में अतिरिक्त यह प्रस्ताव नहीं कर सकेगा कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या इस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय या पुनःपरिचालित किया जाय।

विधेयकों के सिद्धान्तों पर चर्चा

156-(1) उस दिन जबकि ऐसा प्रस्ताव किया जाय या किसी अनुवर्ती दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाय, विधेयकों के सिद्धान्तों और सामान्य उपबन्धों पर विचार किया जा सकेगा किन्तु विधेयक के ब्योरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो।

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करें कि विधेयक-

(क) विचारार्थ लिया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का निर्दिष्ट कर दिया जाय या उस पर राय प्राप्त करने के लिये उस तिथि तक जो प्रस्ताव में दी गयी हो, परिचालित किया जाय, अथवा-

(ख) प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक की राय प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जाय।

(3) जब परिषद् में यह प्रस्ताव पारित हो गया हो कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय और विधेयक निदेशानुसार परिचालित किया जा चुका हो और प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि से पूर्व उस पर राय प्राप्त हो गई हो तो विधेयक भार-साधक सदस्य, यदि वह अपने विधेयक पर इसके आगे कार्यवाही करना चाहता हो, प्रस्ताव करेगा कि विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जब तक कि सभापति यह प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें कि विधेयक को विचारार्थ ले लिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस नियम के अन्तर्गत कोई संशोधन अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव किया गया हो तो कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव करेगा कि परिषद् उस प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को जिसे विधेयक में निर्दिष्ट किया गया हो, विधेयक में कोई विशिष्ट अथवा अतिरिक्त उपबन्ध करने का आदेश देती है और यदि आवश्यक या सुविधाजनक हो तो यह भी आदेश दे सकती है कि विधेयक द्वारा संशोधित किये जाने वाले मूल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करें और अपना प्रतिवेदन दें।

प्रवर समितियां

प्रवर समितियों के सदस्य

157-उस विभाग के मंत्री जिससे उस विधेयक का सम्बन्ध हो और वह सदस्य जिसने उस विधेयक को पुरःस्थापित किया हो, प्रवर समिति के पदेन सदस्य होंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मंत्री-परिषद् के सदस्य नहीं हैं तो उनको समिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मंत्री जो परिषद् के सदस्य न हों और समिति के सभापति हों तो वे बराबर मत हो जाने पर पर्ची डालकर Drawing of Lots प्रश्नों का निर्णय करेंगे।

प्रवर समितियों की रचना

158-प्रवर समिति के लिये निर्वाचित किये जाने वाले अन्य सदस्यों की संख्या निम्नलिखित होगी :-

(क) उस दशा में जबकि विधेयक सम्बन्धित विभाग के मंत्री के अतिरिक्त किसी दूसरे सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया गया हो, सदस्यों की संख्या-9 होगी, और

(ख) दूसरी दशाओं में सदस्यों की संख्या-10 होगी।

प्रवर समितियों के सदस्यों की नियुक्ति

159-किसी विधेयक के लिये निर्मित प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति परिषद् द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव पारित होने पर की जायेगी।

अन्य सदस्यों की उपस्थिति

160-वे सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं है समिति द्वारा विचार विमर्श किये जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं परन्तु न तो वे समिति को सम्बोधित करेंगे और न उसके मध्य बैठेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी मंत्री समिति के सभापति की अनुज्ञा से समिति को, जिसके वे सदस्य न हों सम्बोधित कर सकते हैं।

प्रवर समिति को संशोधनों की सूचना

161-(1) यदि प्रस्ताव संशोधन की सूचना उस दिन से पूर्व जिस दिन कि प्रवर समिति द्वारा विधेयक विचारार्थ लिया जाना है, न की गयी हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि समिति के सभापति संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें।

(2) दूसरी दशाओं में प्रवर समिति की प्रक्रिया ऐसी व्यवस्थाओं के साथ चाहे परिष्कर, परिवर्तन अथवा लोपन की रीति से जैसा भी समिति के सभापति आवश्यक या सुविधाजनक समझें, यथाशक्य वही रहेगी जो परिषद् में किसी विधेयक पर विचार होने के प्रक्रम पर अनुसरण की जाती है।

अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना

162-जब कोई विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो किसी सदस्य द्वारा विधेयक में संशोधन करने के लिये दी गई सूचना समिति को निर्दिष्ट की हुई समझी जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संशोधन की रचना ऐसे सदस्य द्वारा की गयी हो जो समिति का सदस्य नहीं है, तो ऐसा संशोधन समिति द्वारा विचारणीय नहीं होगा जब तक कि वह समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित न किया जाय।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन

163-(1) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि विधेयक में जो परिवर्तन किये गये हैं उनके कारण उसके पुनः प्रकाशन की आवश्यकता है या नहीं और उस तिथि का भी उल्लेख करेगी जबकि विधेयक गजट प्रकाशित हुआ था।

(2) जब कोई विधेयक परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रवर समिति यदि उचित समझे, तो अपने प्रतिवेदन में विधेयक भार-साधक सदस्य से इस बात के लिये सिफारिश कर सकती है कि उसका आगामी प्रस्ताव विधेयक को परिचालित करने के बारे में हो और यदि विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो पुनः परिचालित किये जाने के बारे में हो।

समिति से सम्बन्धित नियम प्रवर समितियों पर लागू होंगे

164-अन्य दशाओं में परिषद् की समितियों से सम्बन्धित नियम प्रवर समितियों पर लागू होंगे।

प्रवर समिति द्वारा अन्य प्रतिवेदन पर लागू होंगे

165-परिषद् द्वारा विधेयक पर विचार करने का निर्णय किये जाने के पूर्व किसी समय प्रवर समिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी।

प्रतिवेदन का मुद्रण एवं प्रकाशन

166-प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रमुख सचिव आदि ने प्रवर समिति से उसे पुनः प्रकाशन की सिफारिश की हों, तुरन्त संशोधन विधेयक सहित उसे गजट में प्रकाशित करायेंगे और मुद्रित प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रक्रिया

167-(1) किसी विधेयक पर प्रवर समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विधेयक भार-साधक सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा-

(क) कि विधेयक को, जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है विचारार्थ लिया जाय परन्तु कोई भी सदस्य उसके इस प्रकार विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये 3 दिन तक उपलब्ध न रही हो और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक सभापति प्रतिवेदन को विचारार्थ लेने की अनुज्ञा न दे, अथवा

(ख) कि विधेयक को-

(अ) पूर्णतया अथवा

(ब) केवल विशेष खण्डों या संशोधनों के सम्बन्ध में, अथवा

(स) प्रवर समिति को विधेयक में कोई विशेष या अतिरिक्त उपबन्ध सम्मिलित करने के अनुदेशों के साथ पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय ; अथवा

(ग) कि विधेयक जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, राय जानने के लिये परिचालित किया जाय अथवा पुनः परिचालित किया जाय।

(2) यदि विधेयक भार-साधक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को फिर से प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय प्राप्त करने के लिये उसे परिचालित किया जाय या पुनः परिचालित किया जाय।

(3) यदि इस नियम के अन्तर्गत कोई विधेयक फिर से प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने वाला हो तो उसे फिर से उसी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि परिषद् इसके विपरीत निर्णय न करे और उस दशा में नियम-156 लागू होगा।

पुनः प्रकाशन का प्रस्ताव

168-कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि कोई विधेयक जिसे प्रवर समिति ने संशोधित किया हो, पुनः प्रकाशित किया जाय और यदि परिषद् ऐसा निर्णय करे तो सभापति उसके पुनः प्रकाशन के लिये निदेश देंगे।

संयुक्त प्रवर समिति

संयुक्त प्रवर समिति

169-(1) यदि कोई प्रस्ताव किसी विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये स्वीकृत हो जाय तो प्रमुख सचिव इस प्रार्थना के साथ सभा को संदेश भेजेगा कि सभा उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करे और यदि उसकी सहमति हो तो संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये अपेक्षित संख्या में अपने सदस्यों का नाम-निर्देशन कर दे।

(2) यदि परिषद् में इस तात्पर्य का कोई संदेश प्राप्त हो कि सभा उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को विनिर्दिष्ट नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभा से असहमति का सन्देश प्राप्त होने पर कोई भी सदस्य बिना सूचना दिये यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक परिषद् की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और सभापति बिना और वाद-विवाद के उस प्रश्न को उपस्थित करेंगे।

परिषद् द्वारा सदस्यों का निर्वाचन

170-जब तक कि दोनों सदन आपस में समझौता करके इसके विपरीत निर्णय न करें, परिषद् संयुक्त प्रवर समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में

चुनेगा और सदस्य विधेयक भार-साधक सदस्य तथा उस विभाग के मंत्री के अलावा होंगे जिससे कि विधेयक सम्बन्ध रखता है। यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा।

समितियों से संबंधित नियम संयुक्त प्रवर समिति पर लागू होंगे

171-जब तक कि दोनों सदन आपस में समझौता करके इसके विपरीत निर्णय न करें, प्रवर समिति से संबंधित परिषद् के नियम आवश्यक परिष्कारों सहित, उन प्रवर समितियों पर भी लागू होंगे तो परिषद् में आरम्भ होने वाले विधेयकों के सम्बन्ध में निर्मित की जायें।

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्ताव

172-किसी विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विधेयक भार-साधक-सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचार किया जाये।

संयुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों पर विवाद

173-इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में विधेयक पर विचार किया जाय, वाद-विवाद समिति के प्रतिवेदन के विचार एवं प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों पर अथवा विधेयक के सिद्धान्तों से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा।

विधेयक पर विचार, उनमें संशोधन और उनका पारण

संशोधन के प्रस्ताव

174-जब परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय, तो कोई सदस्य ऐसे विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर सकता है।

किसी कर को समाप्त अथवा कम करने वाली सिफारिश अथवा पूर्व मंजूरी अनावश्यक

175-नियम 146-के उपबन्ध उन सभी संशोधनों पर लागू होंगे, जिनकी सूचना किसी विधेयक के सम्बन्ध में दी जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे संशोधन के सम्बन्ध में पूर्व स्वीकृति अथवा सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी, जो

(क) किसी विधेयक अथवा संशोधन में प्रस्तावित कर की समाप्ति करने अथवा उसकी सीमा कम करने के लिये हो।

(ख) ऐसे कर में किसी वर्तमान कर की सीमा तक कर वृद्धि करने के लिये हो।

संशोधन की ग्राह्यता की शर्तें

176-किसी विधेयक के खण्डों अथवा अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(1) प्रत्येक संशोधन विधेयक के विषय के क्षेत्र के अन्तर्गत और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से सुसंगत होगा।

(2) संशोधन परिषद् के उसी प्रश्न पर पूर्व निर्णय से असंगत नहीं होगा।

(3) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खण्ड जिसे संशोधित करने की उसमें प्रस्थापना हो दुर्बोध तथा व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाय।

(4) यदि किसी संशोधन में किसी अनुवर्ती संशोधन या अनुसूची की ओर निदेश किया जाय अथवा उसके बिना यह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन अथवा अनुसूची की सूचना दी जायेगी जिससे कि संशोधन-माला पूर्ण रूप से बोधगम्य हो जाय।

(5) संशोधन प्रस्तावित करने का काम सभापति द्वारा निर्धारित किया जायगा।

(6) सभापति ऐसे संशोधन को अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेंगे जो उनके राय में तुच्छ अथवा अर्थहीन हों।

(7) जो संशोधन पहले प्रस्तावित किया जा चुका हो उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संशोधन की सूचना

177-यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन के एक दिन पूर्व दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक का सुसंगत खण्ड या अनुसूची पर विचार किया जाना हो तो, कोई सदस्य संशोधन को प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि सभापति संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें।

संशोधनों का क्रम

178-संशोधनों पर विधेयक के खण्डों के क्रम के अनुसार, जिनसे क्रमशः उनका सम्बन्ध हो साधारणतः विचार किया जाय और किसी ऐसे खण्ड के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा कि यह खण्ड विधेयक का भाग बना रहे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति को उन संशोधनों के चुनने का अधिकार होगा जो कि किसी विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

संशोधनों की सूची

179-(1) ऐसे संशोधनों के व्यवस्थित करने में, जिनके द्वारा किसी खण्ड के एक ही स्थान पर एक सा ही प्रश्न उठाया गया हो, प्राथमिकता उस संशोधन को दी जा सकेगी, जो विधेयक भार-साधक-सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उपर्युक्त प्रतिबन्ध के साथ संशोधन उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में उसकी सूचना प्राप्त हुई हो।

(2) सभापति एक से अधिक संशोधनों को एक साथ प्रस्तावित किये जाने एवं विचारार्थ लिये जाने का आदेश दे सकेंगे।

विधेयक खण्ड प्रतिखण्ड उपस्थित किया जाना

180-जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय तो इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, वह सभापति के स्वविवेक में होगा कि वे विधेयक या विधेयक के किसी भाग को, खण्ड परिषद् के समक्ष रखे। जब इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय, तो सभापति प्रत्येक खण्ड को पृथक-पृथक लेंगे और जब उसमें सम्बद्ध संशोधन का निस्तारण हो जाय तब यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि "यह खण्ड, या यथास्थित, यह संशोधित खण्ड विधेयक का भाग बना रहे।"

खण्ड का स्थगन

181-सभापति, यदि वे उचित समझे तो किसी खण्ड पर विचार स्थगित कर सकेंगे।

अनुसूची

182-अनुसूची या अनुसूचियों पर यदि कोई हो, खण्डों पर विचार होने के पश्चात् विचार किया जायगा। अनुसूचियां सभापति द्वारा उपस्थित की जायेंगी और उन्हें खण्डों की भांति संशोधित किया जा सकेगा और मूल अनुसूचियों पर विचार हो जाने के पश्चात् नई अनुसूचियों पर विचार किया जायेगा, तब यह प्रश्न रखा जायेगा-

"यह अनुसूची या यथास्थिति यह संशोधित अनुसूची विधेयक का भाग बनी रहे।"

किसी विधेयक का प्रथम खण्ड और प्रस्तावना

183-किसी विधेयक का प्रथम खण्ड और प्रस्तावना तब तक स्थगित रहेंगे जब तक अनुखण्डों और अनुसूचियों का निस्तारण न हो जाय और तदुपरान्त सभापति यह प्रश्न उपस्थित करेंगे, "प्रथम खण्ड और प्रस्तावना या यथास्थिति संशोधित प्रथम खण्ड या प्रस्तावना विधेयक का भाग बने रहे।"

विधेयक में संशोधन की सूचना प्राप्त होने पर उसके पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

184-जब किसी विधेयक में किसी संशोधन की सूचना प्राप्त न हुई हो तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कि विधेयक पर विचार किया जाय तुरन्त ही यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि विधेयक पारित किया जाय।

विधेयकों का पारित किया जाना

185-(1) जब परिषद् द्वारा किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के समय कोई संशोधन प्रस्तुत न किया गया हो तो विधेयक तुरन्त पारित किया जा सकेगा।

(2) यदि कोई संशोधन किये जायें तो कोई भी सदस्य उसी बैठक में विधेयक के पारित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि सभापति विधेयक को पारित किये जाने की अनुज्ञा न दे दें।

(3) जब उपर्युक्त आपत्ति मान ली गयी हो तो ऐसा प्रस्ताव कि विधेयक को पारित किया जाय, भविष्य में किसी बैठक में लाया जा सकेगा।

(4) इस प्रस्ताव में कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो या तो औपचारिक न हो या किसी ऐसे संशोधन का आनुषंगिक न हो जो विधेयक पर विचार प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् किया गया है।

विधेयक के पारित किये जाने के प्रस्ताव पर की गई चर्चा

186-इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय, चर्चा केवल ऐसे तर्कों को प्रस्तुत करने तक सीमित रहेगी जो या तो विधेयक का समर्थन करते हो अथवा उसका विरोध। भाषण करते समय कोई सदस्य विधेयक के विवरण का उतने से अधिक उल्लेख नहीं करेगा जितना कि उसके तर्कों के लिये, जो कि सामान्य ढंग से होंगे, आवश्यक है।

पारित किये गये विधेयक सभापति को भेजा जाना

187-जब विधेयक परिषद् द्वारा पारित कर दिया जाय तो उसकी एक प्रतिलिपि सभापति हस्ताक्षर करेंगे और तत्पश्चात् उसको सभा की सहमति के लिये भेजा जायगा।

विधेयक का प्रमाणीकरण

188-(1) जब कोई विधेयक परिषद् द्वारा पारित हो जाय तो यदि आवश्यक हो, प्रमुख सचिव सभापति की पूर्व स्वीकृति से तथा विधेयक के सभा को भेजने जाने से पूर्व खण्डों पर पुनः अंक डालेंगे उसके उपरान्त की टिप्पणियों का पुनरीक्षण तथा पूर्ति करेंगे उसमें केवल ऐसे औपचारिक या आनुषंगिक संशोधन करेंगे जो आवश्यक हों और ऐसी त्रुटियों को ठीक करेंगे जो उनकी असावधानी के कारण रह गयी प्रतीत होती हों।

(2) प्रमुख सचिव, विधेयक की एक प्रतिलिपि सभापति को प्रस्तुत करेंगे जिस पर वे हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार किये गये परिवर्तनों की एक प्रतिलिपि सदस्यों में परिचालित की जायेगी और शीघ्र सदन की मेज पर रखी जायेगी।

संशोधित विधेयक की परिषद् में वापसी

189-जब कोई ऐसा विधेयक जो परिषद् में प्रारम्भ हुआ हो और सभा में संशोधित हुआ हो परिषद् को वापस किया जाय तो इस प्रकार संशोधित किये विधेयक की प्रतिलिपियां परिषद् की ठीक आगामी बैठक या उसके बाद शीघ्र सदन की मेज पर रखी जायेंगी।

संशोधन पर विचार किये जाने के लिये समय का निर्धारण

190-जब कोई संशोधित विधेयक सदन की मेज पर रख दिया गया हो तो किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री अथवा किसी अन्य दशा में कोई सदस्य 3 दिन की सूचना देने के पश्चात् या सभापति की स्वीकृति से इससे कम समय की सूचना देकर, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि संशोधनों पर विचार किया जाय।

संशोधनों पर विचार किये जाने की प्रक्रिया

191-(1) जब कोई ऐसा प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो सभापति संशोधनों को परिषद् के समक्ष इस रीति से रखेंगे जो उनकी राय में उन पर विचार करने के लिये सबसे सुविधाजनक हो।

(2) सभा द्वारा किये गये संशोधनों के विषय में सुसंगत अतिरिक्त संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं लेकिन विधेयक में कोई अतिरिक्त संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि वह सभा द्वारा किये गये संशोधनों का आनुषंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो।

(3) यदि सभा द्वारा किये गये संशोधनों से परिषद् सहमत न हो अथवा उन संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन को अतिरिक्त संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के स्वीकार कर ले तो वह विधेयक या वह विधेयक फिर से संशोधित किये गये रूप में जैसी स्थिति हो इस आशय के एक सन्देश के साथ सभा को भेज दिया जायगा।

(4) यदि सभा उस विधेयक को फिर से इस सन्देश के साथ वापस कर दे कि उन संशोधनों को अब भी ठीक समझती है जिनको परिषद् स्वीकार नहीं कर सकी तो परिषद् या तो-

(क) विधेयक को उस रूप में स्वीकार करेगी जैसा कि उसे सभा में पारित किया है, या

(ख) यदि वह इसे स्वीकार नहीं करती तो अपनी इस असहमति की सूचना सभा, को भेजेगी और उस विधेयक को राज्यपाल की अनुमति के लिये उसी रूप में प्रस्तुत करेगी जिसमें वह अन्तिम बार सभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयकों पर अनुमति तथा विधेयक का अधिनियम के रूप में प्रकाशन

192-जब किसी विधेयक जो पहले परिषद् में प्रारम्भ हुआ जो राज्य के विधान मण्डल के दोनों सदनों ने पारित कर दिया हो तो परिषद् को वापस कर दिया जायेगा और उस पर सभापति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, उसे असहमति के लिये राज्यपाल के पास भेज दिया जायेगा और यदि उसकी अनुमति प्राप्त हो जाय तो उसे उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के ऐसे अधिनियम के रूप में गजट में प्रकाशित किया जायगा जिसे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित किया गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति दे दी है, तो वह उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के ऐसे अधिनियम के रूप में गजट में प्रकाशित किया जायेगा जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है।

राज्यपाल द्वारा वापस किये गये विधेयकों पर पुनः विचार

193-जब कोई विधेयक जो पारित हो चुका हो, राज्यपाल द्वारा परिषद् को पुनः विचारार्थ वापस किया जाय तो ऐसा विषय या ऐसे विषय जो पुनः विचारार्थ निर्दिष्ट किये गये हों अथवा जिन संशोधनों की सिफारिश की गयी हो, वे सभापति द्वारा परिषद् के समक्ष रखे जायेंगे और उन पर जिस प्रकार विधेयक के संशोधन लिये जाते हैं उसी प्रकार या किसी ऐसे दूसरे प्रकार से जैसा कि सभापति परिषद् द्वारा उन पर विचार के लिये सुविधाजनक समझे चर्चा की जायगी तथा उन पर मत लिये जायेंगे।

विधेयकों का वापस लिया जाना

194-विधेयक भार-साधक-सदस्य, विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव कर सकेगा और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो उस विधेयक के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

समाप्त विधेयक

195-कोई विधेयक जिसके सम्बन्ध में 2 वर्ष तक परिषद् में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न हुआ हो, सभापति के आदेश से कार्य सूची से हटा दिया जायेगा।

ख-सभा द्वारा आरम्भ किये गये व परिषद् को पहुंचाये गये विधेयकों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

संयुक्त प्रवर समिति के निदेशन के प्रस्ताव

196-(1) प्रमुख सचिव सभा से प्राप्त हुये संदेश और वहां पुरःस्थापित किये गये विधेयक की एक-एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को भेजेगा जिसमें परिषद् की सहमति इस प्रस्ताव पर जिसे सभा ने स्वीकार किया हो मांगी जाय कि विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) सभा से ऐसे सन्देश के प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री असरकारी विधेयक की दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव

कर सकेगा कि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकार किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा के प्रयोजनार्थ विधेयक जैसा कि वह सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है, परिषद् की मेज पर रखा हुआ समझा जायगा।

(3) यदि परिषद् सहमत हो तो उप नियम (2) में उल्लिखित प्रस्तावक संयुक्त प्रवर समिति में काम करने के लिये परिषद् के सदस्यों के नाम निर्देशन के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा। यदि आवश्यक हो तो संयुक्त प्रवर समिति के लिये अपेक्षित संख्या में परिषद् के प्रतिनिधियों का निर्वाचन एकल-संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जायगा। तदन्तर सभा को यह सन्देश भेजा जायगा कि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर परिषद् ने सहमति दे दी है तथा उस सन्देश में उन सदस्यों के नाम भी दे दिये जायेंगे जिन्हें परिषद् ने संयुक्त प्रवर समिति के लिये निर्वाचित किया हो।

(4) यदि परिषद् सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति न हो तो सभा को यह सन्देश भेज दिया जायगा कि वह उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती।

सभा द्वारा पारित विधेयक

197-जब कोई विधेयक जिसे सभा ने पारित किया हो परिषद् में आये तो विधेयक परिषद् की नई आगामी बैठक में अथवा उनके पश्चात् यथाशीघ्र मेज पर रख दिया जायगा।

सूचना

198-विधेयक के मेज पर रखे जाने के पश्चात् किसी भी समय सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री अथवा किसी अन्य दशा में कोई सदस्य जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दे, दो दिन की सूचना देकर यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विधेयक की प्रतिलिपियां जैसा कि वह सभा द्वारा पारित किया गया है, विधेयक के परिषद् की मेज पर रखे जाने के दिनांक से 8 दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जा चुकी हो तो उस पर विचार किये जाने का कोई प्रस्ताव उस दिनांक से जबकि विधेयक मेज पर रखा गया हो एक दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् किसी भी समय किया जा सकेगा जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें।

चर्चा

199-उस दिन जब ऐसा प्रस्ताव किया जाय या किसी ऐसे अनुवर्ती दिन जिसके लिये बहस स्थगित की जाय, विधेयक सिद्धान्तों और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा की जा सकेगी परन्तु विधेयक के ब्योरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं की जायगी जो उसके सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हों।

प्रवर समिति को निर्देशन

200-कोई सदस्य, यदि विधेयक सभा में पुरःस्थापित हुआ हो और दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट न किया जा चुका हो, किन्तु अन्यथा नहीं, एक संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जायगा और तब वे नियम लागू होंगे जो परिषद् में आरम्भ होने वाले विधेयक पर बनी प्रवर समितियों के सम्बन्ध में है।

विचार एवं पारण

201-यदि कोई ऐसा प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो परिषद् द्वारा विधेयक पर आगे विचार करते समय वे नियम लागू होंगे जो विधेयक के सम्बन्ध में है।

बिना संशोधनों के पारित विधेयक

202-यदि विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हो जाय तो विधेयक इस सन्देश के साथ सभा को भेजा जायगा कि परिषद् ने विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है।

संशोधनों के साथ पारित विधेयक

203-(1) यदि ऐसा विधेयक संशोधन सहित पारित हो जाय तो वह इस संदेश के साथ लौटाया जायगा कि सभा उन संशोधनों को स्वीकार कर लें।

(2) यदि विधेयक इस संदेश के साथ वापस आ जाय कि सभा उन संशोधनों को स्वीकार नहीं करती जो परिषद् ने किये हैं। उन संशोधनों के कुछ अतिरिक्त संशोधनों के साथ विचार करती है तो सभापति के प्रस्ताव पर परिषद् उन पर विचार करेगी और सभापति उन्हें ऐसे उपस्थित करेंगे जो उन पर विचार करने के लिये सुविधाजनक हो।

(3) यदि परिषद् अपने संशोधनों पर आग्रह करती है या सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तो इस आशय का एक संदेश सभा को भेज दिया जायगा।

धन विधेयक

204-(1) जिस दिनांक को कोई धन विधेयक परिषद् से प्राप्त होगा उसकी सूचना सभा को दी जायगी।

(2) किसी धन विधेयक के परिषद् की मेज पर रखे जाने के पश्चात् किसी भी समय, दो दिन की सूचना देने के उपरान्त जब तक सभापति प्रस्ताव कम समय में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दें, कोई मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पर विचार किया जाय।

(3) धन विधेयक पर सिफरिशें प्रस्तावित करने एवं उनको पारित करने में आवश्यक परिवर्तन के साथ परिषद् के वे नियम लागू होंगे जो संशोधनों को प्रस्तुत करने एवं विधेयकों को पारित करने के सम्बन्ध में है।

15-संयुक्त सम्मेलन

दोनों सदनों का संयुक्त सम्मेलन

205-कोई सदस्य सभापति की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि यह युक्तिसंगत है कि विधेयक के अतिरिक्त कोई भी लोक महत्व के विषय में दोनों सदनों के एक ऐसे संयुक्त सम्मेलन को निर्दिष्ट किया जाय जिसमें सदस्यों की एक विशिष्ट संख्या होगी और जिसके लिये ऐसे दिनांक से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेश होंगे जो प्रस्ताव में उल्लिखित किया गया हो।

सभा को संदेश का पहुंचाया जाना

206-यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो सभा को एक संदेश भेजा जायगा जिसमें समय से उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने के लिये कहा जायगा।

सदस्यों का नाम-निर्देशन

207-यदि सभा उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देती है तो भार-साधक-सदस्य प्रस्ताव करेगा और उसमें परिषद् के उन सदस्यों को नाम-निर्देशन करेगा जो सम्मेलन में कार्य करेंगे।

सदस्यों की संख्या

208-संबंधित विभाग के भार-साधक मंत्री, प्रत्येक संयुक्त सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे और उनके अतिरिक्त संयुक्त सम्मेलन से, प्रत्येक सदन के बराबर-बराबर सदस्य नाम-निर्देशित किये जायेंगे।

प्रक्रिया

209-(1) यदि सभा से एक ऐसा संदेश मिले जिसमें परिषद् के किसी संयुक्त सम्मेलन के लिये सहमति देने के लिये कहा गया हो तो प्रमुख सचिव उस संदेश की एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के पास भेजे देंगे।

(2) सभा से इस प्रकार का संदेश प्राप्त हो जाने पर किसी भी समय, मंत्री अथवा कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा के संदेश पर परिषद् अपनी सहमति देती है।

(3) यदि परिषद् सहमति दे दे तो मंत्री या कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि परिषद् आवश्यक संख्या में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिये कार्यवाही करे। यदि आवश्यक हो तो एकल-संक्रमणीय मतप्रणाली से निर्वाचन किया जाय। इसके उपरान्त सभा को एक संदेश भेजा जायगा जिसमें सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव परिषद् की सहमति दे देने की सूचना दी जायगी और उन सदस्यों के नाम भी दिये जायेंगे जो परिषद् द्वारा संयुक्त सम्मेलन के लिये निर्वाचित किये गये हों।

(4) यदि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को परिषद् स्वीकार न करें तो सभा को एक संदेश भेजा जायगा जिसमें परिषद् द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने की सूचना दी जायगी।

16-वित्तीय विवरणों पर चर्चा

आय-व्ययक

210-राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिससे इसके पश्चात् आय-व्ययक हो गया है अथवा अनुदान के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त मांगों का एक विवरण, ऐसे दिन, जिसे राज्यपाल नियत करें और ऐसे रूप से, जिसे वित्त मंत्री उस पर परिषद् द्वारा विचार करने के लिये उपयुक्त समझे, परिषद् के समक्ष रखा जायगा।

सामान्य चर्चा

211-(1) जिस दिन आय-व्ययक अथवा अनुदानों के लिये अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त मांगों का विवरण प्रस्तुत किया जाय उसके उपरान्त सदन के नेता से परामर्श करके, सभापति द्वारा नियत किसी दिन या दिनों में तथा इतने समय के लिये जो सभापति सदन के नेता से परामर्श करके इस अभिप्राय के लिये नियत कर परिषद् को स्वतंत्रता होगी कि वह समस्त आय-व्ययक अथवा अनुदानों के लिये अनुपूरक अथवा अतिरिक्त मांगों के विवरण पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर चर्चा करें, किन्तु इस सम्बन्ध में न कोई प्रस्ताव ही प्रस्तुत किया जायगा और न आय-व्ययक परिषद् में मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस दिन परिषद् में आय-व्ययक प्रस्तुत किया जाय उसके पश्चात् कम से कम पूरे तीन दिन तक आय-व्ययक पर चर्चा नहीं की जायगी।

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा।

(3) सभापति यदि उचित समझें तो चर्चा के किसी भी प्रक्रम पर, भाषणों के लिये समय-सीमा निश्चित कर सकते हैं।

किसी वित्तीय कार्य के लिये निर्धारित दिवसों पर लिये जाने वाले अन्य कार्य

212-आय-व्ययक अथवा नियम 211 के अन्तर्गत किसी विवरण पर चर्चा के लिये कोई दिन नियत होते हुये भी किसी विधेयक अथवा विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिये अथवा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं और ऐसे दिन, परिषद् के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व जिसके लिये वह दिन नियत किया गया हो, कोई एक अथवा अधिक विधेयक पुरःस्थापित किये जा सकते हैं।

17-परिषद् के लिये याचिकायें

याचिकाओं का रूप और विषय

213-परिषद् को जो याचिकायें प्रस्तुत की जायें :-

(क) वे किसी विषय के सम्बन्ध में होगी,

(1) जो यथार्थ में परिषद् के विचाराधीन हों, अथवा

(2) जो राज्य विधान मण्डल के व्याप्ति के अन्दर निश्चित सार्वजनिक महत्व का हो।

(ख) वे परिषद् को सम्बोधित की जायेगी,

(ग) वे याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट लिखी जायेंगी और उन पर हस्ताक्षर होंगे।

(घ) वे शिष्ट और नम्र भाषा में लिखी जानी चाहिये।

(ङ) उनके द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जायगा जो राष्ट्रीय धन के व्यय अथवा राज्य की संचित निधि पर कोई भार आरोपित करने के सम्बन्ध में रखा हो।

याचिकाओं का प्रमुख सचिव को दिया जाना

214-परिषद् को संबोधित की गयी याचिका परिषद् के किसी सदस्य द्वारा प्रमुख सचिव को दी जायगी।

याचिकाओं के प्रस्तुत किये जाने के लिये तिथि का नियत किया जाना

215-यदि याचिका नियम 213 के अन्तर्गत दी गई हों तो उसे प्रस्तुत करने के लिये एक तिथि नियत की जायेगी। इस प्रकार नियत की गई तिथि को सदस्य उसे नियमित रूप से परिषद् में प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने में वह उन पक्षों, जिन्होंने वह याचिका प्रस्तुत की है, उसमें किये गये हस्ताक्षरों, उसमें लगाये गये मुख्य आरोपों का विवरण देने और याचिका में की गई प्रार्थना तक अपने भाषण को सीमित रखेगा।

याचिकाओं पर चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी

216-यदि सभापति ऐसा आदेश दें तो प्रमुख सचिव परिषद् में याचिका को पढ़कर सुनायेंगे अथवा सारांश तैयार करेंगे और उसे परिषद् को पढ़कर सुनायेंगे। सभापति ऐसी याचना पर अथवा उसके सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद करने अथवा किसी सदस्य को उस पर भाषण करने की अनुज्ञा नहीं देंगे।

किसी याचिका का याचिका समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति को अधिकार

217-सभापति अपने स्वविवेक से अथवा इस सम्बन्ध में परिषद् के मतानुसार किसी याचिका को याचिका समिति को ऐसे निर्देश के साथ निर्दिष्ट कर सकते हैं कि वह एक निश्चित समय के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें।

प्रतिवेदन पर चर्चा

218-परिषद् में याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उस पर सभापति की अनुमति के बिना कोई चर्चा नहीं की जायगी।

18-नियमों का संशोधन

सूचना

219-जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें, नियमों में संशोधन करने की अनुज्ञा मांगने के प्रस्ताव के लिये कम से कम 10 दिन की सूचना देना आवश्यक होगा और सूचना के साथ प्रस्तावित संशोधनों का एक प्रारूप भी दिया जायगा।

परिषद् की अनुमति

220-प्रस्ताव ऐसे दिन के लिये रखा जायगा जैसा कि सभापति निदेश दें, जब प्रस्ताव पर विचार करने की बारी आ जाय तो सभापति संशोधनों के प्रारूप को पढ़कर सुनायेंगे और पूछेंगे कि सदस्य को परिषद् की अनुज्ञा प्राप्त है अथवा नहीं। यदि आपत्ति की जाय तो सभापति यदि उचित समझें प्रस्ताव करने वाले सदस्य तथा आपत्ति करने करने वाले सदस्य को स्पष्टीकरण के निमित्त संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा देने के पश्चात् सदस्यों से जो उसका समर्थन करते हो, प्रार्थना करेंगे कि अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें और तद्नुसार यदि कम से कम 10 सदस्य खड़े हो जायं तो सभापति सूचित करेंगे कि सदस्य को परिषद् की अनुमति प्राप्त है। यदि 10 से कम सदस्य खड़े हों, तो सभापति उस सदस्य को सूचित करेंगे उसे परिषद् की अनुमति प्राप्त नहीं है।

संशोधनों के आलेख्य का नियम पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट किया जाना

221-जब सदस्य को आगे की कार्यवाही करने के लिये परिषद् की अनुमति प्राप्त हो जाय तो संशोधन का प्रारूप परिषद् के नियम पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट किया जायगा।

नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया

*222-(क) समिति की सिफारिश सदन की मेज पर रखी जायेगी और इस प्रकार सदन की मेज पर रखे जाने के दिन से आरम्भ होकर 14 दिन की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन जिसमें समिति की सभी या किसी सिफारिश को समिति के पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, की सूचना संशोधन करने के उद्देश्य और कारणों सहित दे सकेंगे।

(ख) यदि उप नियम (क) में उल्लिखित कालावधि के भीतर समिति की सिफारिशों में संशोधन की सूचना न दी जाय तो उस अवधि की समाप्ति पर समिति की सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकृत समझी जायेंगी और नियमों में सम्मिलित कर ली जायेगी।

(ग) यदि उप नियम (क) में विहित कालावधि के भीतर किसी संशोधन की सूचना प्राप्त हो तो सभापति ऐसे संशोधन को जो ग्राह्य हो, समिति को निर्दिष्ट कर देंगे और समिति ऐसे संशोधनों पर विचार करके अपनी सिफारिशों में ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जो वह उचित समझे।

(घ) उप नियम (ग) में उल्लिखित संशोधनों पर विचार करने के उपरान्त समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सदन की मेज पर 10 दिन तक रखा जायेगा और यदि इस कालावधि के भीतर समिति द्वारा पुनर्विचारोपरान्त किये गये निर्णयों में किसी संशोधन की सूचना कारण और उद्देश्य सहित प्राप्त हो तो सभापति ऐसे संशोधन को जो ग्राह्य हो सदन के विचारार्थ रखेंगे, अन्यथा समिति का प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा और प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशें नियमावली में सम्मिलित कर ली जायेंगी।

---

* जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट, दिनांक 15 जुलाई, 1988 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (सचिवालय) की विज्ञप्ति संख्या 1035/वि0प0-4स0शा0/87, दिनांक 27 अप्रैल, 1988 द्वारा संशोधित हुआ।

19-विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

223-(1) कोई भी सदस्य स्वयं अथवा प्रमुख सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा अथवा याचिका द्वारा अथवा समिति के प्रतिवेदन से परिषद् का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर आकर्षित करने के लिये, अपने मन्तव्य की सूचना दे सकता है जो किसी सदस्य अथवा परिषद्, अथवा उसकी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना से सम्बन्ध रखता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे विशेषाधिकार की अवहेलना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी जो परिषद् के समक्ष की गयी हो।

(2) जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें, वह प्रमुख सचिव को लिखित सूचना देंगे यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी,

यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बन्धित सदस्य को भेज दी जायेगी।

विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें

224-विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने का अधिकार निम्नलिखित प्रतिबन्धों से नियंत्रित होगा, अर्थात् :-

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक विषय नहीं उठायें जायेंगे;

(2) विषय किसी हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना से संबंधित होगा।

विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की रीति

225-यदि सभापति की यह सम्मति हो कि वह प्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार के भंग करने का विषय है तो प्रश्नों के समाप्त होने पर तुरन्त ही और अन्य कार्यक्रम, जिसमें अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिये कार्य-स्थगन के प्रस्ताव भी सम्मिलित है, के आरम्भ होने से पूर्व सभापति सूचना देने वाले सदस्यों से कहेंगे कि वह उक्त प्रश्न उठाने के लिये परिषद् की अनुमति प्राप्त कर लें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति का यह निर्णय हो कि उठाया जाने वाला प्रश्न नियमानुकूल नहीं है, तो वे परिषद् के समक्ष यदि चाहें तो पढ़कर सुना दें और अपना निर्णय बता दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य, परिषद् की किसी बैठक के दौरान उत्पन्न हुये विशेषाधिकार के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करें तो सभापति उस विषय पर अपना निर्णय सुरक्षित रख सकेंगे और उनको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त आगामी अवसर पर उठाये जाने के लिये अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे।

परिषद् की अनुमति का प्रदान किया जाना

226-यदि अनुज्ञा के प्रश्न किये जाने पर कोई आपत्ति उठायी जाय तो सभापति उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हो, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेंगे और यदि कम से कम 10 सदस्य तद्नुसार खड़े हो जायें तो सभापति सूचित करेंगे कि सदस्य को अनुमति दे दी गई है। यदि 10 से कम सदस्य खड़े हों तो सभापति उस सदस्य को सूचित करेंगे कि उसे परिषद् की अनुमति प्राप्त नहीं है।

विशेषाधिकार समिति को निर्देशन

227-(1) यदि परिषद् अनुमति प्रदान कर दे तो सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय अथवा उस पर तत्काल चर्चा की जाय और निर्णय लिया जाय।

(2) चर्चा को समाप्त करने के लिये सभापति समय सीमा निर्धारित कर सकेंगे।

दण्ड

(3) दण्ड-सदन स्वयं अथवा विशेषाधिकार समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित दण्ड दे सकता है :-

1-भर्त्सना

2-शास्ति

3-सदस्य का निलम्बन

4-अर्थ दण्ड

5-सदस्य का निष्कासन

6-कारावास, जिसकी अवधि सदन के प्रस्ताव पर निर्भर है, परन्तु सत्रावसान के उपरान्त आगे नहीं बढ़ सकती है और,

7-अन्य कोई दण्ड जिसे सदन अनुच्छेद 194 के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित और ठीक समझे।

(4) सदन की सेवा से निलम्बित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन तथा समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित रहेंगे ; परन्तु सभापति किसी निलम्बित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन से आने की अनुमति दे सकेंगे।

(5) सदन प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश कर सकेगा कि निलम्बन का दिया हुआ दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय।

किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति का अधिकार

228-सभापति स्वविवेक से किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे और परिषद् को ऐसे निर्देशन के बारे सूचित करेंगे।

प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा करने के लिये समय का निर्धारण

229-(1) विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई सदस्य अपने मन्तव्य की सूचना, यह प्रस्तावित करने के लिये कि परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत है, दे सकता है और सभापति नेता सदन के परामर्श से ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये समय का आवंटन कर सकेंगे।

(2) कोई भी सदस्य समिति की सिफारिशों से सुसंगत संशोधन प्रस्तावित कर सकता है।

(3) परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार किये जाने को विनियमित करने के लिये सभापति आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

20-विविध

परिषद् द्वारा निर्वाचन

230-(1) परिषद् अथवा उसके किसी वर्ग द्वारा चुनावों, सभापति के निर्देशानुसार तथा इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार एकल-संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किये जायेंगे।

(2) सभापति समय-समय पर परिषद् द्वारा किये जाने वाले निर्वाचनों को विनियमित करने के लिये निर्देश जारी कर सकेंगे।

अनुपस्थित की अनुमति और रिक्तता

अनुपस्थित की अनुमति

231-(1) यदि कोई सदस्य, किसी भी समय यह समझता है कि वह लगातार 60 दिन की अवधि तक, जिसकी संगणना संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के अनुसार की जायेगी, परिषद् की बैठकों में सम्मिलित नहीं हो सकता तो वह इस प्रकार अनुपस्थित रहने के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है।

(2) ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही, जैसा कि सभापति आदेश दें, परिषद् के समक्ष विचार हेतु रखा जायेगा और इस प्रकार नियत किये गये दिनों, प्रश्नों के बाद तुरन्त और उस दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व उस पर परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(3) नियम 57 के किसी बात के रहते हुये भी वह सभापति रीति निश्चित करेंगे जिसके अनुसार ऐसे आवेदन-पत्रों पर परिषद् का निर्णय प्राप्त किया जायेगा।

(4) सदस्य के आवेदन-पत्र पर परिषद् जो निर्णय करे, उसकी सूचना यथाशीघ्र प्रमुख सचिव उस सदस्य को देंगे।

(5) यदि कोई सदस्य 60 दिन की अवधि या उससे अधिक समय तक परिषद् की अनुमति के बिना उसकी समस्त बैठकों से जिसकी संगणना संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के परन्तुक उपबद्ध रीति से की जायेगी, अनुपस्थिति रहे तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाय।

(6) कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव करने के लिये 3 दिन की सूचना देगा और सूचना के साथ उन दिनांकों का एक पूर्ण-विवरण भी भेजेगा जिसमें वह सदस्य जिसका स्थान रिक्त घोषित किया जाने वाला है, अनुपस्थित था।

(7) यदि सभापति इस बात से संतुष्ट हो जायं कि उपनियम (6) में उल्लिखित विवरण-पत्र अशुद्ध है, तो कोई प्रस्ताव चर्चा के लिये स्वीकृत नहीं किया जायगा।

(8) यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो प्रमुख सचिव इस तथ्य की सूचना राज्यपाल को प्रेषित करेंगे।

(9) प्रमुख सचिव एक ऐसी सूची रखेंगे जिसमें उन सब सदस्यों के नाम होंगे जो लगातार 60 दिन या उससे अधिक समय तक परिषद् की समस्त बैठकों में अनुपस्थित रहे हों और ऐसी सूची सदस्यों के निरीक्षण के लिये उपलब्ध की जाएगी।

परिषद् के स्थान से त्याग-पत्र

232-(1) कोई सदस्य जो परिषद् में अपने स्थान से त्याग-पत्र देना चाहे अपना त्याग-पत्र सभापति को प्रस्तुत करेगा।

(2) परिषद् सदस्य से, उसके हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना प्राप्त कर लेने पर उसने परिषद् में अपने स्थान का त्याग कर दिया है। सभापति यथाशीघ्र परिषद् को सूचित करेंगे कि सदस्य ने परिषद् में अपने स्थान का त्याग कर दिया है :

> किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद् का अधिवेशन न हो रहा हो तो सभापति, परिषद् का पुनः अधिवेशन होने पर, सदन को तुरन्त सूचित करेंगे कि अमुक सदस्य ने अपने स्थान का त्याग कर दिया है।

गजट में रिक्त स्थानों का अधिसूचित किया जाना

233-परिषद् की सदस्यता के समस्त रिक्त स्थान उन स्थानों को छोड़कर जो सदस्यता के अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप रिक्त हो गये हों प्रमुख सचिव द्वारा गजट में अधिसूचित किये जायेंगे और अधिसूचना की प्रतिलिपियां निर्वाचन आयोग तथा राज्यपाल को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेंगी।

गणपूर्ति

234-जब किसी सदस्य द्वारा सभापति का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाय कि परिषद् की बैठक में 10 से कम सदस्य उपस्थित हैं तो सभापति 2 मिनट तक चेतावनी की घण्टी बजवायेंगे। यदि आवश्यक संख्या में सदस्य फिर भी उपस्थित न हों तो सभापति परिषद्, को उसी दिन, किसी दूसरे समय तक के लिये, अथवा किसी आगामी दिन के लिये, जिसका वे उल्लेख करें स्थगित कर देंगे।

सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि और रिहाई की सभापति को सूचना

दण्डाधिकारी द्वारा सदस्यों के बन्दीकरण, निरोध आदि की सभापति को सूचना

235-कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दण्ड्य अपराध के लिये बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाय या किसी कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, तो यथास्थिति न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में, यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के निरोध या कारावास का स्थान भी दर्शाते हुये ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता के साथ सभापति को देगा।

सदस्य की रिहाई पर सभापति को सूचना

236-जब कोई सदस्य बन्दी किये जायें और दोषसिद्धि के बाद अपील लम्बित होने तक जमानत पर रिहा किये जायें या अन्यथा रिहा किये जायें तो ऐसे तथ्य की सूचना भी सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र में सभापति को दी जायेगी।

दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्यवाही

237-नियम-235 या 236 में निर्दिष्ट सूचना जो वायरलेस सन्देश, टेली प्रिन्टर, तार अथवा फैक्स द्वारा भी भेजी जा सकेगी, प्राप्त होने के बाद, यदि सदन उपवेशन में हो, सभापति, यथासम्भव शीघ्र, उसे सदन में पढ़कर सुनायेंगे, अन्यथा निदेश देंगे कि सदस्यों को उसकी सूचना दे दी जाय :

परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य के जमानत पर या अन्यथा प्रमुक्त होने की सूचना सदन को मूल कारावास की सूचना दिये जाने से पहले ही प्राप्त हो जाय तो उसके बन्दीकरण या कारावासित होने तथा बाद में प्रमुक्त होने के तथ्य को सभापति चाहें तो सदन को सूचित न करें।

सदन के परिसर के भीतर विधि सम्बन्धी आदेशिका की तामीली तथा गिरफ्तारी से सम्बन्धित प्रक्रिया

सदन के परिसर के भीतर बन्दीकरण

238-सदन के परिसर के भीतर, सभापति की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, कोई गिरफ्तारी नहीं की जायेगी।

विधि सम्बन्धी आदेशिका की तामीली

239-दीवानी या फौजदारी विधि सम्बन्धी आदेशिका सदन के परिसर के भीतर सभापति की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना तामील नहीं की जायेगी।

अनुसूची

(नियम-235 तथा 236)

किसी सदस्य के यथास्थिति, बन्दीकरण, निरोध, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र

स्थान .....

तिथि .....

सेवा में,

माननीय सभापति,
विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
विधान भवन, लखनऊ।

(क)

महोदय,

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि ..... (अधिनियम) की धारा ..... के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान परिषद् के सदस्य, श्री .....को..... (यथास्थिति, बन्दीकरण या निरोध के कारण) के लिये बन्दी/निरुद्ध कर लिया जाय।

तद्नुसार श्री ..... विधान परिषद् सदस्य को .....(तिथि) को ..... पर (समय) बन्दी कर लिया गया है/हवालात में रख दिया गया है और उन्हें इस समय.....जेल ..... (स्थान) में रखा गया है।

(ख)

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान परिषद् के सदस्य, श्री ....पर ..... (दोषसिद्धि) के कारण दोषरोप (या दोषारोपों) के लिये .....*न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया। ..... दिन तक मुकदमा

---

* न्यायालय का नाम।

चलने के बाद ..... (तिथि) को मैंने उन्हें ..... का अपराधी पाया और उन्हें .....(कालावधि) के कारावास का दण्डादेश दिया।

..... को अपील करने की अनुमति के लिए उनका प्रार्थना-पत्र विचारार्थ लम्बित है।

(ग)

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान परिषद् के सदस्य, श्री ....को, जिन्हें ..... (तिथि) को सिद्धदोष ठहराया गया था और ..... के लिये (दोषसिद्ध के कारण) ..... (कालावधि) का कारावास दिया गया था .....(तिथि) को अपील लम्बित होने तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था (या, यथास्थिति, अपील पर दण्डादेश रद्द होने पर रिहा कर दिया गया)।

आपका विश्वासपात्र,
(न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या
कार्यपालिका प्राधिकारी)।

पी0एस0यू0पी0-एल0 111 विधान परिषद् (457)-30-03-2022-200 प्रतियां (कम्प्यूटर)।